



परवानीपुर गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ८

संख्या: १४

मिति:- २०८१/०३/२५ गते

भाग-१

परवानीपुर गाउँपालिका

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परवानीपुर गाउँपालिकाबाट यो राजपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।

सम्बत् २०८१ सालको ऐन नं.

परवानीपुर गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई  
कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८१

गाउँ सभा कार्यपालिकाबाट पारित मिति:-२०८१/०१/२३ गते

## परवानीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

**प्रस्तावना:** परवानीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम परवानीपुर गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाई लागू गरेको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम "परवानीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१" रहेको छ ।  
(२) यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गते देखि परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने छ । स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लागि घरले चर्चेको जग्गा भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनु पर्दछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर **अनुसूची-१** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।  
(३) उपदफा (१) को प्रयोजनकोलागि घर र घर जग्गाको मुल्यांकन देहायको आधार गरिनेछः
  - क) घर र घरजग्गाको आकार प्रकार, बनौट र उपयोगको अवस्था
  - ख) घर र घरजग्गाको व्यापारिक चलनचल्तीको मुल्य र घरको हास मुल्य
  - ग) घर र घर जग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्था
३. **भूमिकर (मालपोत):** परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र **अनुसूची-२** बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । दफा-२ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाईने छैन । तर विगतको बाँकी बक्यौता मालपोत रकम असुली गर्न बाधा पर्ने छैन । आ.व.२०८१/८२ भन्दा अगाडीको बक्यौता भूमिकर (मालपोत) रकम बुझाउँन आउँदा अधिकतम २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना सहित भूमिकर (मालपोत) असूल गरिनेछ ।
४. **घर जग्गा बहाल कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै प्राकृतिक वा अप्राकृतिक संघसंस्था/कम्पनी वा व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा घरजग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा बहाल करको दर **अनुसूची-३** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि परवानीपुर गाउँपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी बहाल कर लिने छ । न्यूनतम बहाल कर रु. १५० प्रति महिना (अक्षरेपी एक सय पचास रुपैया) लाग्नेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत पत्र प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरूले वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय इजाजत दस्तुरको दर व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा **अनुसूची-४** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लिइने व्यवसाय करको दर **अनुसूची-५** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन्खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, काँचो छाला जस्ता बस्तुको उत्पत्ति वा संकलन गरी व्यवसायिक कारोवार गरे बापत **अनुसूची-६** बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**स्पष्टीकरण:** यस दफाको प्रयोजनको लागि व्यवसायिक कारोवार भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विल वा विजक वा लेनदेन भएको जनाइने प्रमाणलाई सम्झनु पर्दछ र कवाडी भन्नाले तयारी मालसामान बाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन प्रयोग गर्न सकिने (एक पटक प्रयोग भईसकेका) र पुन प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी बस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेड बाहेकका मालबस्तुहरू सम्झनु पर्दछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई परवानीपुर गाउँपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकिए इजाजत दिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका टाँगा, रिक्सा, र विद्युतीय रिक्सा तथा अटो रिक्सामा सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परवानीपुर गाउँपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजत दस्तुरको दर **अनुसूची-७** बमोजिम हुनेछ ।

(३) मधेश प्रदेशले लगाएको सवारी साधन बापतको कर रकमबाट परवानीपुर गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन कर:** (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्ने दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा **अनुसूची-८** बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम परवानीपुर गाउँपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर:** (१) परवानीपुर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल, क्यासिनो, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर, सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, जादू, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परवानीपुर गाउँपालिकाले **अनुसूची-९** अनुसार उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ ।

१०. **बहाल विटौरी शुल्क:** (१) परवानीपुर गाउँपालिकाले आफुले निर्माण, रेखदेख संरक्षण वा संचालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरूमा **अनुसूची-१०** बमोजिमको दरमा बहाल विटौरी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्नेछ:

(क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,  
(ग) गाउँपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,  
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि गाउँ कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउपत्र वा डाँक बढाबढको माध्यमबाट बहालमा दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि गाउँपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा बोलपत्र वा दरभाउपत्र वा डाँक बढाबढको माध्यमबाट बहाल विटौरीमा दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल विटौरीमा दिदा शर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।

११. **पार्किङ्ग शुल्क** (१) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङ्ग स्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएवापत पार्किङ्ग गर्ने समयको आधारमा **अनुसूची-११** मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ्ग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी पार्किङ्ग गराइने र शुल्क लगाइने छैन ।

(३) परवानीपुर गाउँपालिकाले सवारी पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसंगको समन्वयमा गर्नेछ ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** (१) गाउँपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे वापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई **अनुसूची-१२** मा उल्लेख भएबमोजिम सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

(ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शवदाहगृह, धोबीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

(घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

(ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

(च) परवानीपुर गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,

(छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क । तर ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा नेपाली नागरिकलाई यस प्रकरण बमोजिम शुल्क लिन पाइने छैन ।

(२) गाउँपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, "घ"बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोकी लगाइने र उठाइनेछ ।

(३) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ (२च) बमोजिमको सिफारिस तथा प्रमाणिकरण, घर नक्सापास, इजाजत, सरसफाई शुल्क लगायत प्रवाह हुने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर अनुसूची-१३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ

१३. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क:** (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उठेको रकम संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ ।

१४. **दण्ड जरिवाना:** (१) परवानीपुर गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट निर्धारित दरमा जरिवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।

(२) परवानीपुर गाउँपालिकाले उपदफा (१) बाहेक प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्य दण्ड जरिवाना रकम सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. **कर छुट:** (१) ठेक्का रकम एकमुष्ट वा बार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने राजश्व सोही आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र र मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको हकमा सोही महिनाको सात गते भित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने राजश्वको क्रमशः दश र पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोवारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिईने छैन ।

**स्पष्टीकरण:-** लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आंगिक कलेजहरु, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालाय, बालगृह, अनाथश्रम, वृद्धाश्रम जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्दछ ।

(३) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरुले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई गाउँ सभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।

(४) कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक गाउँपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनिय योगदान पुऱ्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधीसम्म सभाले बनाएको कानून बमोजिम कर दस्तुर शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

१६. **प्रशासकिय पुनरावेदन:** (१) गाउँपालिकाले गरेको कर शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर पुनरावलोकनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजश्व परामर्श समितिमा पेश गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि प्राप्त भएको निवेदन उपर राजश्व परामर्श समितिले पैतिस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गर्नेछ । राजस्व परामर्श समितिलाइ निर्णय गर्न कठिनाई भएमा कार्यपालिकामा निर्णयार्थ पेश गर्न सक्नेछ ।

१७. **ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने:** (१) यस ऐन बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गरी संकलन गर्नसक्नेछ ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्नजाने अवस्थामा बढीमा ३ (तीन) वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिमको आय ठेक्का दिदाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट व्यक्ति वा स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।

(३) सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) गाउँपालिकाले कर संकलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन । तर हाटबजार, पोखरी, पसल घर, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तुकर तथा सडक उपयोग कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त नै गर्नु पर्ने भएमा गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णय गराई ठेक्कामा संकलन गर्न सकिनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिने आय ठेका बन्दोबस्तका लागि बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्धी कार्यविधि र पट्टा कबुलियत, धरौटी, किस्ता र ठेक्का तोड्नेजस्ता विषयहरू प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । कानूनमा नभएको प्रावधानको सम्बन्धमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

१८. **कर संकलनको लागि सेवा रोक्न सक्ने:** (१) गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तोकिएको समयमा दाखिला नगरेमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने सिफारिस बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकलन गर्न सकिनेछ ।

२) गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले अन्य कर भुक्तानी नगरी सम्पत्ति कर तिर्न नपाउने गर्न सकिने छ ।

३) सेवा प्रवाहको मुख्य चुलो बडा कार्यालय भएको कारणले गाउँस्तरीय कर चुक्ताको प्रमाण कागज संलग्न नभए सम्म बडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्ने छैनन् । कर असुली र कर प्रशासनमा सघाउनु बडा अध्यक्ष तथा बडा कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

१९. **गाउँस्तरीय कर चुक्ता प्रमाण पत्र जारी गर्ने:** (१) गाउँपालिकामा दर्ता भै व्यवसाय गर्ने करदाताहरूलाई नेपाल सरकारको कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिनु पूर्व गाउँपालिकाबाट कर चुक्ताको प्रमाण पत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कर कार्यालयलाई गाउँपालिकाबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त भए पछि मात्र त्यहाँबाट त्यस्तो प्रमाण पत्र जारी गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिनेछ ।

२०. **किस्तामा कर तिर्न सकिने:** (१) गाउँपालिकाबाट निर्धारण भएको कर, करदाताको अनुरोधमा गाउँ कार्यपालिकाले उपयुक्त ठहराएमा २ वा ३ किस्तामा तिर्नु पर्ने गरी कायम गर्न सकिने छ ।

२१. **करदाताको पहिचान तथा दर्ता :**

१) व्यवसाय संचालन गर्नुपूर्व दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय संचालन गर्नु पर्नेछ ।

२) कर एकाईले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नु पर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

३) उपदफा (२) बमोजिम करदाताको पहिचान गर्दा व्यक्ति वा करदाताको नाममा रहेको सम्पत्ति, निजले गरेको कारोबार र कर एकाईलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सुचना र सो एकाईले छानविन गर्दा देखिएका आधारमा करदाताको पहिचान गरिनेछ ।

४) कर एकाईले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताको विवरण खुलाई करदाता दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।

५) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोबार गर्दा सोही नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२२. **करदाताको दायित्व:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएका करदाताको देहाय बमोजिमको दायित्व हुनेछ:

- क. आफूलाई करदाताको रूपमा दर्ता गराउने,
- ख. निर्धारित समयमा विवरण पेश गर्ने,
- ग. निर्धारित समयमा कर रकम दाखिला गर्ने,
- घ. यस ऐन बमोजिम कुनै शुल्क, जरिवाना वा व्याज बुझाउनुपर्ने भए समयमा बुझाउने,
- ङ. हिसाब किताब र अभिलेख दुरुस्त राखे
- च. कर अधिकृतले मागेको सूचना तथ्यांक समयमा उपलब्ध गराउने,
- छ. कर एकाईलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

२३. **करदाताको अधिकार:** (१) करदातालाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:

- क. सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,
- ख. प्रचलित कानून बमोजिम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार,
- ग. कर सम्बन्धी विषयमा प्रमाण पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार,
- घ. प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी वा लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार,
- ङ. कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार ।

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको दावी गर्न आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

२४. **विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने:** (१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले कर विवरण नबुझाएमा वा विवरण दाखिला गर्दा व्यहोरा फरक पारी दाखिला गरेको भनी शंका गर्न सकिने आधार र कारण भएमा कर अधिकृतले आधार र कारण खोली कर विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक महिना भित्र कर एकाईमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२५. **विवरण सच्याउन सकिने:** यस परिच्छेद बमोजिमको कर विवरण दाखिला भै सकेपछि कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गणितीय भूल भएको भन्ने लागेमा करदाताले पहिला विवरण दाखिला भएको मितिले तीन (३) महिना भित्र यथार्थ, तथ्य र सही अंक सहितको अर्को विवरण पेश गर्न सक्ने छ ।

२६. **कर दाखिला गर्नुपर्ने:** (१) यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर ऐनको परिच्छेद ४ गा उल्लेख गरिएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्त भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरि दाखिला गर्नुपर्ने कर कट्टी भएको महिना पछिको महिनाको २५ गते भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२७. **कर दाखिलाको निस्सा दिनु पर्ने:** करदाताले यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर वा गैरकर राजस्व वा अन्य रकम बुझाए पछि करदातालाई तत्काल त्यसको निस्सा दिनु पर्नेछ ।

२८. **कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउँदा तिर्नु पर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरेकोमा सो कर रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उप दफा (१) फिर्ताको लागि निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र माग बमोजिम फिर्ता दिने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

२९. **कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) करदाताले दफा ३१ बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको रकम दाखिला गर्नु पर्ने कर रकममा समायोजन गर्न कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखिएमा कर अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र माग बमोजिम समायोजन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

३०. **उजुरी नलाग्ने:** यस ऐन बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा त्यस्तो पुनरावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजुर लाग्ने छैन ।

३१. **पुनरावेदन दिन सक्ने:** (१) प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय भएकोमा सो मितिले र प्रशासकीय पुनरावलोकन नहुने विषयमा कारण परेको मितिले चित्त नबुझ्ने पक्षले ६० (साठी) दिन भित्र सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(२) अदालत गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ ।

३२. **अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने:** यस ऐनको प्रयोजनको लागि गाउँ कार्यपालिकाको अधिकार प्राप्त अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

३३. **आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने:** संघीय र प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी कानून र यो ऐनको प्रावधानलाई कार्यन्वयन गर्न गराउन आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

३४. **पुरस्कृत गर्न सक्ने:** (१) गाउँपालिकाले यथार्थपरक र विश्वसनीय रूपमा तथा कानूनले तोकेको म्याद भित्र कर विवरण बुझाउने, लागेको कर दाखिला गर्ने र कर अधिकृतले अनुरोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने तीन जना करदातालाई प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।

(२) प्रचलित कानून बमोजिम इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक कर संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने राष्ट्रसेवक एक कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइने पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३५. **कर परीक्षण र कर निर्धारण:** (१) यस ऐन बमोजिम करदाताले विवरण पेश नगरेको वा पेश गरेको विवरणमा देहायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा कर अधिकृतबाट कर परीक्षण गरी कर निर्धारण गरिनेछ:

(क) खातापाता, हरहिसाब वा अभिलेख दुरुस्त नदेखिएमा ।

(ख) गलत वा झुठ्टा कागजात / विवरण संकलन गरेको देखिएमा ।

(ग) यथार्थ कारोवार नदेखिएको विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा ।

(घ) कारोवारका आधारमा करको दायित्व कम देखिएमा ।

(ङ) करको दर फरक पारेकोमा ।

(च) कानून बमोजिम कर छुट वा मिनाहा हुन नसक्नेमा पनि सोको दावी गरेकोमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएमा करदातालाई आधार र कारण खुलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न तीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कर अधिकृतले उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र करदाताले स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(५) स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्ष भित्र कर अधिकृतले पुनः कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने सन्तोषजनक आधार र कारण भएमा करदातालाई सफाईको मौका दिई त्यस्तो कर निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

३६. **कर निर्धारणको सूचना:** (१) यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतबाट कर निर्धारण भएकोमा बुझाउनु पर्ने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर निर्धारणको सूचना दिनु पर्नेछ। (२) यस ऐन बमोजिमको कर दाखिला गर्दा निर्धारणको सूचना प्राप्त भएपछि करदाताले सो सूचनामा उल्लेखित स्थान र समय सीमा भित्र कर दाखिला गर्नु पर्ने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कर रकम बैंक दाखिला गरिएकोमा करदाताले त्यसको सम्बन्धित भौचर कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रस्तुत ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिकाले जुन सुकै अधिकृत वा सहायक पाँचौं स्तरको कर्मचारीलाई कर अधिकृतको रूपमा तोक्नेछ। निजले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रही कार्य गर्नेछ ।

३७. **कर संकलन सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने कर, ब्याज र शुल्क वापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोकिएको अवधिमा दाखिला नगरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूर्व स्वीकृति लिई देहायको एक वा एक भन्दा बढी तरिका बमोजिम कर असुल गर्न सक्नेछ ।

(क) करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर ।

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।

(ग) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नु पर्ने रकम करदाताको पूर्व सहमति लिई कट्टा गरेर ।

(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर ।

(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति माथि दावी वा कब्जा गरेर ।

(छ) करदाताको सम्पत्ति एकैपटक वा पटक पटक गरी तोकिए बमोजिम लिलाम विक्री गरेर ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोजिम लिलामको कारवाही शुरु भएपछि सो कारवाही समाप्त हुनु पूर्व कर दाखिला गर्न ल्याएमा बुझाउन बाँकी कूल रकमको नियमानुसार थप शुल्क सहित असुल गरिनेछ ।

(३) लिलामबाट प्राप्त रकम करदाताले तिर्नु पर्ने कर रकम भन्दा बढी भएमा बढी भए जति रकम साठी दिन भित्र सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता गर्दा निजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।

३८. **जरिवाना लाग्ने:** यस ऐन पालना नगरी करको दायित्व घटाएमा कर अधिकृतले कर बिगोको दश प्रतिशत जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३९. **ब्याज लाग्ने:** यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर समयमा दाखिला नगरेमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमको वार्षिक दश प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।

४०. **अभिलेख नराखेमा शुल्क लाग्ने:** यस ऐन बमोजिम अभिलेख राखुपर्ने कर्तव्य भएका करदाताले अभिलेख नराखेमा रु.५००/- शुल्क लाग्नेछ ।

४१. **समयमा विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने:** यस ऐन बमोजिम विवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले समयमा विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण रु.५००/- शुल्क लाग्नेछ ।

४२. **झुट्टा विवरण दिएमा शुल्क लाग्ने:** यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका करदाताले झुट्टा विवरण दाखिला गरी गरेको दायित्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असुल गरी सोको दश प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।
४३. **ब्याज नलाग्ने:** यस ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क ब्याज र जरिवानामा पुनः ब्याज लाग्ने छैन ।
४४. **कागजातको ढाँचा:** (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशिकामा उल्लेख नभएको वा नतोकिएको कुनै विवरण, ढाँचा, तरिका वा जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उपर्युक्त देखिएमा गाउँपालिकाले आदेश वा सूचना जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश वा सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गाउँपालिका कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीय पत्र पत्रिकाको मध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
४५. **सूचना तामेली रीत पुगेको मानिने:** (१) यस ऐन बमोजिम दिनु पर्ने म्याद, सूचना वा कागजात देहाय बमोजिम बुझाएमा वा पठाएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको वा दिइएको मानिनेछ ।  
(क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाएको  
(ख) निजको परिवारको उमेर पुगेको सदस्यलाई बुझाएको  
(ग) नबालिगको हकमा संरक्षक वा माथवर व्यक्तिलाई बुझाएको  
(घ) कार्यालय संस्था वा निकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमुखलाई बुझाएको  
(ङ) करदाताको ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको  
(२) कर एकाईको अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट ईनस्क्रीन वा इनकोड गरिएको, छाप लगाईएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिईएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ ।
४६. **प्रचलित कानून बमोजिम हुने:** यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका विषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका शिर्षकमा दर कायम गर्नुपर्ने, असुल उपर गर्नुपर्ने भएमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार हुनेछ ।
४७. **कार्यविधि बनाउन सक्ने:** (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको कार्यविधि वा निर्देशिका सम्बन्धित गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई गाउँ राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि लागू हुनेछ ।

## अनुसूची -१

(ऐनको दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति करको दर (१९३९३)

| सि.नं. | विवरण   | दररेट             |            |
|--------|---|-------------------|------------|
|        |   | करको दर प्रति लाख | कर रकम रु. |
| १      | रु ५ लाख सम्म                                     | एकमुष्ट           | ५०         |
| २      | रु ५ लाख देखि ५० लाख सम्म प्रति लाख               | १०                |            |
| ३      | रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म प्रति लाख              | १५                |            |
| ४      | रु १ करोड १ लाख देखि १ करोड ५० लाख सम्म प्रति लाख | १७                |            |
| ५      | रु १ करोड ५० लाख देखि २ करोड सम्म प्रति लाख       | २२                |            |
| ६      | रु २ करोड १ लाख देखि २ करोड ५० लाख सम्म प्रति लाख | २५                |            |
| ७      | रु २ करोड ५० लाख देखि ३ करोड सम्म प्रति लाख       | ३०                |            |
| ८      | रु ३ करोड १ लाख देखि ३ करोड ५० लाख सम्म प्रति लाख | ३५                |            |
| ९      | रु ३ करोड ५० लाख देखि ४ करोड सम्म प्रति लाख       | ४०                |            |
| १०     | रु ४ करोड १ लाख देखि ४ करोड ५० लाख सम्म प्रति लाख | ४५                |            |
| ११     | रु ४ करोड ५० लाख देखि ५ करोड सम्म प्रति लाख       | ५०                |            |
| १२     | रु ५ करोड भन्दा बढी जति सुकै प्रति लाख            | ५५                |            |

❖ परवानीपुर गाउँपालिकाको पहिलो आर्थिक ऐन, २०७४ भन्दा अगाडीका आ.व.हरु(आ.व.२०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म) सम्मको सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकीको हकमा चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ति कर एकमुष्ट दाखिला गर्नेलाई उक्त आ.व.हरुको सम्पत्ति करमा पूर्ण छुट दिईनेछ ।

### सम्पत्ति करको मूल्यांकन गर्ने तरिका

घरजग्गा कर लाग्ने क्षेत्रको घरको बनोटको वर्गीकरण र मूल्यांकन देहाय बमोजिम हुनेछ ।

#### क.घरको बनोटको वर्गीकरण:

- १) भित्र काँचो बाहिरपाको ईटामा माटोका जोडाई भएका वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता,झिँगटी,टायल,एसवेस्टसको छाना भएको घर ।
- २) भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा सिमेन्ट जोडाई भई बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आर.सि.सि.वा आ.सि.सि)गरिएको वा जस्ता,टायल,झिँगटी,एसवेस्टसको छाना भएको घर,गोदाम घर
- (३) भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आर.सि.सि.वा आ.सि.सि) गरिएको घर
- (४) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरमा लिफ्ट/एस्कलेटर जडान भएको घर
- (५) स्टीम फ्रेम स्ट्रक्चर,फ्रविङ्गटस,फाईवर वा यस्तै संरचना

ख.घरको मूल्यांकन

| घरको बनेट                      | प्रतिवर्ग फिट रु. | प्रति वर्ष हासकट्टी दर प्रतिशत | कट्टीगर्ने जम्मा वर्ष |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (अ)प्रकरण (क) (१) बमोजिमको घर  | रु.१००/-          | ३                              | २५                    |
| (आ) प्रकरण (क) (२) बमोजिमको घर | रु.२००/-          | २                              | ३०                    |
| (इ)प्रकरण (क) (३) बमोजिमको घर  | रु.४००/-          | १                              | ७०                    |
| (ई)प्रकरण (क) (४) बमोजिमको घर  | रु.८००/-          | ०.७५                           | १००                   |
| (उ) प्रकरण (क) (५) बमोजिमको घर | रु.१०००/-         | ०.७५                           | १००                   |

• परवानीपुर गाउँपालिका घोषणा हुनु भन्दा अगाडिका आ.व. हरुको सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकीको हकमा चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ति कर एकमुष्ट दाखिला गर्नेलाइ आ.व. २०७२/७३ सम्मको सम्पत्ति करमा पूर्ण छुट दिइनेछ ।

अनुसूची -१.१

परवानीपुर गाउँपालिका भित्रका जग्गाको मुल्याङ्कन दर

क) हालको वडा नं. १

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण  | सडकको किसिम    | प्रति कठ्टा मुल्यांकन | कैफियत |
|--------|--|----------------|-----------------------|--------|
| १      | पिच/ढलान बाटोसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                              | पक्की/ढलान सडक | २०,००,०००/-           |        |
| २      | ग्राभेल तथा मूल नहर बाटोसँग जोडिएको जग्गा                              | कच्ची सडक      | १५,००,०००/-           |        |
| ३      | कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १०,००,०००/-           |        |
| ४      | शाखा नहरसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | ५,००,०००/-            |        |
| ५      | कुलोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | २,५०,०००/-            |        |
| ६      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि.शा) मा बनेको फुस/खपडाको घर पारित हुदा प्रतिधुर | पक्की/ढलान सडक | ५०,०००/-              |        |
| ७      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि.शा) मा बनेको पक्की घर पारित हुदा प्रतिधुर      | पक्की/ढलान सडक | ७५,०००/-              |        |
| ८      | सरेह खेत (खेती योग्य)  | बाटो नभएको     | १,५०,०००/-            |        |

ख) हालको वडा नं. २

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण  | सडकको किसिम    | प्रति कठ्टा मुल्यांकन | कैफियत |
|--------|--|----------------|-----------------------|--------|
| १      | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) सँग दायाँ बायाँ जोडिएको जग्गा प्रति कठ्टा | पक्की सडक      | ५५,००,०००/-           |        |
| २      | साविक रेल्वे मार्गको हाल सडकसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा प्रति कठ्टा                 | पक्की सडक      | ५५,००,०००/-           |        |
| ३      | पिच/ढलान बाटोसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा प्रति कठ्टा                                | पक्की/ढलान सडक | २१,००,०००/-           |        |
| ४      | ग्राभेल तथा मूल नहर बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १५,४०,०००/-           |        |
| ५      | कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १३,२०,०००/-           |        |
| ६      | शाखा नहरसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १२,१०,०००/-           |        |
| ७      | कुलोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | २,५०,०००/-            |        |
| ८      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको फुस/खपडाको घर पारित हुदा प्रतिधुर                 | पक्की/ढलान सडक | ५०,०००/-              |        |
| ९      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको पक्की घर पारित हुदा प्रतिधुर                      | पक्की/ढलान सडक | ७५,०००/-              |        |
| १०     | सरेह खेत (खेती योग्य)  | बाटो नभएको     | २,००,०००/-            |        |

ग) हालको वडा नं. ३

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण  | सडकको किसिम    | प्रति कठ्टा मुल्यांकन | कैफियत |
|--------|--|----------------|-----------------------|--------|
| १      | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) सँग दायाँ बायाँ जोडिएको जग्गा | पक्की सडक      | ९०,००,०००/-           |        |
| २      | साविक रेल्वे मार्गको हाल सडकसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                 | पक्की सडक      | ८५,००,०००/-           |        |
| ३      | पिच/ढलान बाटोसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                                | पक्की/ढलान सडक | ३०,००,०००/-           |        |
| ४      | ग्राभेल तथा मूल नहर बाटोसँग जोडिएको जग्गा                                | कच्ची सडक      | २०,००,०००/-           |        |
| ५      | कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १५,००,०००/-           |        |
| ६      | शाखा नहरसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १३,५०,०००/-           |        |
| ७      | कुलोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | ५,५०,०००/-            |        |
| ८      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको फुस/खपडाको घर पारित हुदा प्रतिधुर     | पक्की/ढलान सडक | ५०,०००/-              |        |
| ९      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको पक्की घर पारित हुदा प्रतिधुर          | पक्की/ढलान सडक | ७५,०००/-              |        |
| १०     | सरेह खेत (खेती योग्य)  | बाटो नभएको     | ३,५०,०००/-            |        |

घ) हालको वडा नं. ४

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण  | सडकको किसिम    | प्रति कठ्टा मुल्यांकन | कैफियत |
|--------|--|----------------|-----------------------|--------|
| १      | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) सँग दायाँ बायाँ जोडिएको जग्गा प्रति कठ्टा | पक्की सडक      | ८०,००,०००/-           |        |
| २      | साविक रेल्वे मार्गको हाल सडकसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा प्रति कठ्टा                 | पक्की सडक      | ६५,००,०००/-           |        |
| ३      | पिच/ढलान बाटोसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा  | पक्की/ढलान सडक | २५,००,०००/-           |        |
| ४      | ग्राभेल तथा मूल नहर बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १५,५०,०००/-           |        |
| ५      | कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १३,२०,०००/-           |        |
| ६      | शाखा नहरसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १२,१०,०००/-           |        |
| ७      | कुलोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | ५,००,०००/-            |        |
| ८      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको फुस/खपडाको घर पारित हुदा प्रतिधुर                 | पक्की/ढलान सडक | ५०,०००/-              |        |
| ९      | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको पक्की घर पारित हुदा प्रतिधुर                      | पक्की/ढलान सडक | ७५,०००/-              |        |
| १०     | सरेह खेत (खेती योग्य) प्रति कठ्टा  | बाटो नभएको     | ३,५०,०००/-            |        |

ड) हालको वडा नं. ५

| सि.नं. | जग्गा तथा सडकको विवरण  | सडकको किसिम    | प्रति कठ्टा मुल्यांकन | कैफियत |
|--------|--|----------------|-----------------------|--------|
| १      | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) सँग दायाँ बायाँ जोडिएको जग्गा | पक्की सडक      | ९०,००,०००<br>/-       |        |
| २      | साविक रेल्वे मार्गको हाल सडकसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                 | पक्की सडक      | ८५,००,०००<br>/-       |        |
| ३      | कलैया-बिरगंज राजमार्ग समेतसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                   | पक्की सडक      | ५५,००,०००<br>/-       |        |
| ४      | पिच/ढलान बाटोसँग दायाँबायाँ जोडिएको जग्गा                                | पक्की/ढलान सडक | ३०,५०,०००<br>/-       |        |
| ५      | ग्राभेल तथा मूल नहर बाटोसँग जोडिएको जग्गा                                | कच्ची सडक      | २०,००,०००<br>/-       |        |
| ६      | कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १५,४०,०००<br>/-       |        |
| ७      | शाखा नहरसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | १३,२०,०००<br>/-       |        |
| ८      | कुलोसँग जोडिएको जग्गा  | कच्ची सडक      | ५,००,०००/-            |        |

|    |  |                |            |  |
|----|--|----------------|------------|--|
| ९  | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको फुस/खपडाको घर पारित हुदा प्रतिधुर | पक्की/ढलान सडक | ५०,०००/-   |  |
| १० | ऐलानी जग्गा (अस्थायी नि:) मा बनेको पक्की घर पारित हुदा प्रतिधुर      | पक्की/ढलान सडक | ७५,०००/-   |  |
| ११ | सरेह खेत (खेती योग्य) प्रति कट्टा                                    | बाटो नभएको     | ३,००,०००/- |  |

### अनुसूची -२

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित)

भूमीकर (मालपोत) को दर

लेखा कोड: ११३१४ कम्प्युटर कोड:०००२

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू           | इकाई        | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|-------------------------------|-------------|---------------|--------|
| १      | व्यापारिक, व्यवसायिक जग्गा    | प्रति कट्टा | ३००/-         |        |
| २      | आवासिय जग्गा                  |             |               |        |
| २.१    | पिच/ढलान सडकसंग जोडिएको जग्गा | प्रति कट्टा | १००/-         |        |
| २.२    | ग्राभेल सडकसंग जोडिएको जग्गा  | प्रति कट्टा | ५०/-          |        |
| ३      | कृषियोग्य जग्गा               | प्रति कट्टा | १०/-          |        |
| ४      | अन्य जग्गा सबै                | प्रति कट्टा | १०/-          |        |
| ५      | बक्यौता                       | प्रति कट्टा | साविक बमोजिम  |        |

- उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा भएका वा उद्योग संचालनमा रहेका जग्गाहरू व्यापारिक, व्यवसायिक जग्गाको रूपमा मानी भूमिकर(मालपोत) कर असुल गरिनेछ ।
- कृषि फर्म तथा सहकारीको कृषि प्रयोजन गर्ने जग्गामा व्यक्ति सरहको नै दररेट लाग्नेछ

### अनुसूची-३

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित।

जग्गा तथा घर बहाल कर (११३१७)

- ❖ जग्गा तथा घर बहाल कर सम्झौता रकमको १०% (दश प्रतिशत) लाग्नेछ ।
- ❖ त्रिभुवन राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको छेउमा प्रति वर्ग फिट न्यूनतम रु.५० र भित्रि सडकहरूमा प्रति वर्ग फिट न्यूनतम रु.३० का दरले प्रतिकोठा मासिक भाडा कायम गरी सो रकम बराबरको १० प्रतिशतका दरले घर बहाल कर लाग्नेछ ।
- ❖ न्यूनतम जग्गा तथा घर बहाल कर रु. १५०/- प्रति महिना लाग्नेछ।
- ❖ बहाल महिनाको गणना गर्दा भाडामा बसेको र छोडेको महिना दुवैलाई १/१ महिना मानी गणना गरिनेछ।
- ❖ चालु आ.व.भन्दा अगाडिको बक्यौता बहाल करमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

अनुसूची -४

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित ।

ब्यवसाय इजाजत (दर्ता) दस्तुरको दर १४२५३

| क्र.सं | उद्योग,बैंक तथा वितीय क्षेत्र र व्यवसायको पूँजी   | शुल्क रु. (प्रथम पटक नयाँ व्यवसाय संचालनका लागि) |
|--------|---|--|
| १      | एक लाख सम्म पूँजी भएको  | ३,००/-   |
| २      | एक लाख भन्दा माथि पाँच लाख सम्म पूँजी भएको  | ५,००/-   |
| ३      | पाँच लाख भन्दा माथि पचिस लाख सम्म पूँजी भएको  | १,०००/-  |
| ४      | पचिस लाख भन्दा पचास लाख सम्म पूँजी भएको   | १०,०००/-   |
| ५      | पचास लाख भन्दा माथि पूँजी भएको  | २०,०००/-   |
|        | अन्यत्र मुख्य कार्यालय भई गाउँपालिकाभित्र शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नेको लागी (पूँजी नखुलेको हकमा) | ४,०००/-  |

ब्यवसाय दर्ता नविकरणको दर १४२५३

| क्र.सं | उद्योग,बैंक तथा वितीय क्षेत्र र व्यवसायको पूँजी | शुल्क रु. |
|--------|---|-----------|
| १      | एक लाख सम्म पूँजी भएको                          | २,००/-    |
| २      | एक लाख भन्दा माथि पाँच लाख सम्म पूँजी भएको      | ३,००/-    |
| ३      | पाँच लाख भन्दा माथि पचिस लाख सम्म पूँजी भएको    | ५००/-     |
| ४      | पचिस लाख भन्दा पचास लाख सम्म पूँजी भएको         | १,०००/-   |
| ५      | पचास लाख भन्दा माथि पूँजी भएको                  | ५,०००/-   |

## अनुसूची -५

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

व्यवसाय करको दर (१४६११)

व्यवसाय कर बुझाउन बाँकी व्यवसायीहरूको विगत दुई भन्दा बढि आर्थिक वर्ष देखि (आ.व.२०७७/७८ देखि अघि सम्मको) व्यवसाय नविकरण नगर्नेको हकमा एकमुष्ट नविकरण गर्नेलाई उक्त आ.व.हरूको बक्यौता रकममा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ । (चालु आ.व. मा एकमुष्ट व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्नेलाई आ.व.२०७८/७९ देखि मात्र व्यवसाय कर लिईनेछ)। साथै यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिला र अपाङ्ग व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता र नविकरणमा लाग्ने रकमको १० प्रतिशतले छुट दिईने छ । साथै चालु आ.व.को आश्विन मसान्तसम्म एकमुष्ट व्यवसाय कर बुझाउने व्यवसायीलाई व्यवसायकरको लाग्ने शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिईनेछ र १० जना भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले त्यसको ५०% परवानीपुरको स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारी दिएमा व्यवसाय करमा थप छुट १५ प्रतिशत छुट दिईनेछ ।

| क्र.सं. | व्यवसायको प्रकृति  | दररेट  |
|---------|--|--------|
| १       | मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको विक्री                                   |        |
| १.१     | थोक विक्रेता (मदिरा,चुरोटको डिलर,सूर्ति प्याकेटिङ्ग गर्नेहरूका लागि) | ४०००/- |
| १.२     | खुद्रा(मदिरा,चुरोट,सूर्ति प्याकेटिङ्ग गर्नेहरूका लागि)               | १०००/- |
| २       | हल्का पेय पदार्थ   |        |
| २.१     | थोक  | १०००/- |
| २.२     | खुद्रा   | ८००/-  |
| ३       | ईलेक्ट्रीकल र ईलेक्ट्रोनिक्स सामान विक्रेता                          |        |
| ३.१     | दुबैको थोक   | १५००/- |
| ३.२     | खुद्रा   | १०००/- |
| ३.३     | कम्प्युटर र टिभी सम्बन्धी पसल  | १५००/- |
| ३.४     | कम्प्युटर र भाषा ईन्स्टच्युट   | १२००/- |
| ३.५     | कम्प्युटर टिभी मर्मत केन्द्र   | १०००/- |
| ३.६     | घडी रेडियो तथा भिडियो सि.डि विक्रेताको लागि                          | १०००/- |
| ३.७     | मोबाईल र पार्टस विक्रेताको लागि                                      | १०००/- |
| ४       | हार्डवियर (निर्माण सामग्री)  |        |
| ४.१     | थोक विक्रेता (सिमेन्ट,छ्द,रंग रोगन जन्य समान)                        | ४०००/- |
| ४.२     | खुद्रा विक्रेता (सिमेन्ट,छ्द,रंग रोगन जन्य समान)                     | २०००/- |
| ४.३     | घर सजावटका समानहरूको विक्रेताको लागि                                 | १०००/- |
| ४.४     | ईटा विक्रेता   | २०००/- |
| ४.५     | सिमेन्ट विक्रेता   | १५००/- |
| ४.६     | प्लाईउड सिसा,कार्पेट,फ्रेम थोक                                       | २०००/- |

|      |  |         |
|------|--|---------|
| ४.७  | प्लाईउड सिसा,कार्पेट,फ्रेम खुद्रा  | १२००/-  |
| ४.८  | ब्लक उधोग (रिङ्ग,पिलर,गमलाहरु,आदि नर्माण गर्ने)                                | १२००/-  |
| ५    | <b>पेट्रोलियम पदार्थ,पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस बिक्रेता</b>                      |         |
| ५.१  | पेट्रोल तथा डिजल दुबै बिक्रेताको लागि  | ५०००/-  |
| ५.२  | डिजल मात्र बिक्री गर्नेहरुको लागि  | १०००/-  |
| ५.३  | मट्टीतेल डिलरहरुको लागि  | १०००/-  |
| ५.४  | ग्याँस डिलरहरुको लागि  | १०००/-  |
| ५.५  | अन्य   | २०००/-  |
| ६    | <b>कपडा पसल फेन्सी सहित</b>  |         |
| ६.१  | थोक बिक्रेता   | २०००/-  |
| ६.२  | अन्य तयारी थान कपडा ,फेन्सी  | १०००/-  |
| ६.३  | सिलाई सम्बन्धि सामग्री (टाँक धागो लगायतका समान बिक्री)                         | ५००/-   |
| ७    | <b>खाधान्न गल्ला तथा किराना पसल</b>  |         |
| ७.१  | थोक बिक्रेता   | २०००/-  |
| ७.२  | खुद्रा बिक्रेता  | १०००/-  |
| ८    | <b>मासु बिक्रेता</b>   |         |
| ८.१  | धेरै थरिका मासु बिक्रेताको लागि  | १५००/-  |
| ८.२  | एक थरिका मात्र मासु बिक्रेताको (फ्रेस हाउस)                                    | १२००/-  |
| ९    | <b>सुन चाँदी तथा गरगहना</b>  |         |
| ९.१  | सुनचाँदी तथा गहनाहरुको खरिद बिक्री गर्ने ठुला बिक्रेताको लागि                  | ३०००/-  |
| ९.२  | सुनचाँदी तथा गहनाहरुको खरिद बिक्री गर्ने (सोरुम सजावट भएकालाई) बिक्रेताको लागि | १५००/-  |
| ९.३  | ज्याला मात्र लिई सुनचाँदी तथा गरगहनाहरुको सम्बन्धि काम गर्ने (ज्यासल)          | १०००/-  |
| ९.४  | रोल्डगोल्ड बिक्रेता  | १२००/-  |
| १०   | <b>श्रृंगारका,खेलौना तथा उपहार (गिफ्ट) सामानहरु</b>                            |         |
| १०.१ | बजार क्षेत्रका थोक बिक्रेताको लागि   | १०००/-  |
| १०.२ | ग्रामीण क्षेत्रका थोक बिक्रेताको लागि  | ५००/-   |
| १०.३ | खेलौना तथा गिफ्ट बिक्रेता  | ६००/-   |
| ११   | <b>मेशिनरी तथा सवारी साधन र सो सम्बन्धि पार्टस</b>                             |         |
| ११.१ | मेशिनरी तथा सवारी साधन सम्बन्धी पार्टस बिक्रेता                                | २०००/-  |
| ११.२ | मोटरसाईकलको स्थानीय आधिकारीक बिक्री शो रुम सहित सर्भिसिङ्ग सेन्टरहरु           | ४०००/-  |
| ११.३ | हेभी सवारी साधनहरु (बस,ट्रक,डोजर,लोडर आदि) बिक्रेताको लागि                     | १००००/- |
| ११.४ | हलका साधनहरु (जिप,कार आदि) बिक्रेताको लागि                                     | ५०००/-  |
| ११.५ | टेम्पो,ट्रेक्टर तथा ई रिक्सा सवारी साधनहरुको बिक्रेताको लागि                   | ३०००/-  |
| ११.६ | टायर तथा मोबिल डिलर  | २५००/-  |
| १२   | पाठ्यपुस्तक,स्टेशनरी तथा खेलकुद सामग्री  | १०००/-  |
| १३   | <b>स्वास्थ्य सेवा</b>  |         |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| १३.१      | थोक तथा खुद्रा बिक्री सहित क्लिनिक भएकाहरूको लागि  | ३०००/-  |
| १३.२      | औषधी बिक्रेताहरूको लागि मात्र  | १५००/-  |
| १३.३      | सर्जिकल पसल  | १५००/-  |
| १३.४      | चस्मा (अप्टिकल सेवा) मर्मत तथा बिक्री गर्ने बिक्रेताहरूको लागि                           | १०००/-  |
| १३.५      | हस्पिटल  | १००००/- |
| १३.६      | क्लिनिक  | ३०००/-  |
| <b>१४</b> | <b>कृषीजन्य औषधी,बिउ बिजन तथा मलखाद</b>  |         |
| १४.१      | कृषि तथा भेटनरी औषधि सहित मलखाद वा बिउ बिजन बिक्रेताको लागि                              | २०००/-  |
| १४.२      | कृषि तथा भेटनरी औषधि तथा मलखाद बिक्रेता  | १५००/-  |
| १४.३      | कृषि तथा भेटनरी औषधी मात्र बिक्रेताको लागि   | १५००/-  |
| १४.४      | मलखाद र बिउबिजन बिक्रेताको लागि  | १०००/-  |
| <b>१५</b> | <b>जुत्ता तथा चप्पल सम्बन्धि</b>   |         |
| १५.१      | सोरुम सहित स्वदेशी तथा विदेशी जुत्ता चप्पल बिक्रेताहरूको लागि                            | २०००/-  |
| १५.२      | अन्य जुत्ता चप्पल बिक्रेताहरूको लागि   | १५००/-  |
| १५.३      | परम्परागत सिपबाट घरेलु उत्पादन गरि बिक्री गर्ने बिक्रेताहरूको लागि                       | १०००/-  |
| <b>१६</b> | <b>भाँडा पसलहरू</b>  |         |
| १६.१      | तामा,पित्तल,स्टिल तथा आलुमिनियमका भाँडा बिक्रेताको लागि                                  | २०००/-  |
| १६.२      | प्लाष्टिक जन्य भाँडा बिक्रेताको लागि   | १०००/-  |
| १६.३      | माटोका भाँडा बिक्रेताको लागि   | ५००/-   |
| <b>१७</b> | <b>फर्निचर सम्बन्धि</b>  |         |
| १७.१      | तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान बिक्रेताको लागि   | ५०००/-  |
| १७.२      | काठ,स्टील,प्लाष्टिक सामान सहित कार्पेट समेत बिक्री गर्ने बिक्रेताको लागि                 | ३०००/-  |
| १७.३      | काठ,तथा स्टीलका मात्र सामान बिक्री गर्ने बिक्रेताको लागि                                 | ३०००/-  |
| १७.४      | सामान्य फर्निचर पसलका लागि   | १०००/-  |
| <b>१८</b> | <b>तरकारी तथा फलफूल</b>  |         |
| १८.१      | तरकारीका थोक बिक्रेताका लागि   | १५००/-  |
| १८.२      | तरकारीका खुद्रा बिक्रेताका लागि  | ८००/-   |
| १८.३      | फलफूल थोक बिक्रेताका लागि  | १५००/-  |
| १८.४      | फलफूल खुद्रा बिक्रेताका लागि   | ८००/-   |
| <b>१९</b> | <b>हस्तकलाका सामानहरू बिक्री गर्नेलाई</b>  |         |
| १९.१      | स्थानिय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरि बिक्री गर्ने   | १००/-   |
| १९.२      | सामान आयात गरि बिक्री गर्ने  | १०००/-  |
| <b>२०</b> | <b>विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा</b>  |         |
| २०.१      | दुई जना वा दुई जना भन्दा बढीको संलग्नतामा सामुहिक रुपमा परामर्श वा कन्सल्टेन्ट सेवा दिने | १००००/- |
| २०.२      | एक जनाको संलग्नतामा परामर्श वा कन्सल्टेन्ट सेवा दिने                                     | ५०००/-  |
| २०.३      | लेखापढि/ज्योतिष परामर्श सेवा   | २०००/-  |

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| २१    | संस्थागत पेन्टर/रंग व्यवसाय   |         |
| २१.१  | संस्थागत पेन्टर   | १०००/-  |
| २२    | निर्माण व्यवसाय गाउँपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा | २००००/- |
| २३    | दूध चिस्यान केन्द्र/दूध डेरी  |         |
| २३.१  | ५०० लि.भन्दा बढी भण्डारण गर्ने                                      | २०००/-  |
| २३.२  | ५०० लि.भन्दा कम भण्डारण गर्ने                                       | १२००/-  |
| २३.३  | दुध डेरी पसल  | १०००/-  |
| २४    | व्यवसायिक कृषि तथा पशु फर्महरू                                      |         |
| २४.१  | कृषि/कृषक समूह दर्ता तथा नवीकरण                                     | १०००/-  |
| २४.२  | ग्रामीण कुखुरा पालन गर्नेहरूको लागि                                 | ६००/-   |
| २५    | व्यवसायिक नर्सरी  | ५००/-   |
| २६    | पशु फर्महरू   | ८००/-   |
| २७    | रिसोर्टहरू तथा ठुला मोटल तथा होटलहरू                                |         |
| २७.१  | रिसोर्टहरू व्यवसायीहरूको लागि                                       | १००००/- |
| २७.२  | २ तारे सम्मका होटलहरू   | १५०००/- |
| २७.३  | ३ तारे वा सो भन्दा माथि सम्मका होटलहरू                              | २००००/- |
| २७.४  | पार्टी प्यालेस  | १००००/- |
| २७.५  | लजहरू (होटल सहित)   | ३०००/-  |
| २७.६  | वेकरी हाउस तथा मिठाई पसल  | १०००/-  |
| २७.७  | खाना तथा नास्ता होटलहरू   | ७००/-   |
| २७.८  | तोकिएको स्थान र समयमा संचालन हुने मोबाईल खाजा घर                    | ३००/-   |
| २७.९  | मदिरा सहितका नास्ता होटलहरू   | २२००/-  |
| २७.१० | रेष्टुरेन्टहरू  | ३०००/-  |
| २८    | सेवा उद्योग   |         |
| २८.१  | कोल्ड स्टोरेज   | १५००/-  |
| २८.२  | प्रेस (छापाखाना) तथा फ्लेक्स प्रिन्टस तथा अन्य प्रिन्टर्स सम्बन्धि  | २०००/-  |
| २८.३  | अफसेट प्रेस तथा फ्लेक्स प्रिन्टस दुबै भएकाहरूको लागि                | २०००/-  |
| २८.४  | अफसेट प्रेस भएका हरूका लागि   | २०००/-  |
| २८.५  | फ्लेक्स प्रेस तथा स्क्रीन प्रिन्टरमात्रको व्यवसाय गर्नेहरूको लागि   | २०००/-  |
| २९    | बैकल्पिक उर्जा (गोबर ग्याँस सौर्य उर्जा कम्पनि आदि)                 |         |
| २९.१  | सोलार सम्बन्धि सेवा प्रदायक संस्थाहरू                               | ५०००/-  |
| २९.२  | गोबर ग्याँस सेवा प्रदायक कम्पनिहरू                                  | ५०००/-  |
| २९.३  | सोलार सम्बन्धि सामान उत्पादन तथा बिसक्री गर्ने व्यवसाय              | २०००/-  |
| २९.४  | गोबर ग्याँस सम्बन्धि सामान उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसाय         | २०००/-  |
| ३०    | कुटानी पिसानी मिल   |         |
| ३०.१  | तेल,चामल,चिउरा आदि कुटानी पिसानी गरि बिक्री गर्ने मिलहरूलाई         | ८००/-   |

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| ३०.२  | तेल,चामल,चिउरा आदि कुटानी पिसानी मात्र गर्ने मिलहरूलाई | ८००/-   |
| ३०.३  | पिठो तथा मसाला मिलहरूलाई                               | ८००/-   |
| ३१    | <b>चलचित्र भवन</b>                                     |         |
| ३१.१  | व्यापारिक कम्प्लेक्स सहितको चलचित्र हल                 | १५०००/- |
| ३१.२  | चलचित्र भवन मात्र                                      | १००००/- |
| ३२    | <b>निर्माण उद्योग</b>                                  |         |
| ३२.१  | व्यापारिक कम्प्लेक्स                                   | १५०००/- |
| ३२.२  | व्यपारिक कम्प्लेक्स भवन संचालन गर्नेहरू                | १००००/- |
| ३२.३  | आवासिय कम्प्लेक्स                                      | ५०००/-  |
| ३३.४  | आवासिय भवन संचालन गर्नेहरू                             | ३०००/-  |
| ३३    | <b>संचार सेवा</b>                                      |         |
| ३३.१  | राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिका                          | १५००/-  |
| ३३.२  | स्थानीय स्तरको पत्र पत्रिका                            | १४००/-  |
| ३३.३  | अनलाईन खबर पत्रिकाहरू                                  | १४००/-  |
| ३४    | <b>निजी संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरू</b>               |         |
| ३४.१  | एफ.एम.हरू  | २५००/-  |
| ३४.२  | स्थानीय टेलिभिजनहरू                                    | २५००/-  |
| ३४.३  | साईबर तथा कम्प्युनिकेशन सेन्टरहरू                      | २५००/-  |
| ३४.४  | निजी क्षेत्रका ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरू              | २५००/-  |
| ३४.५  | निजी टेलिफोन प्रदायक संस्थाहरू                         | २५००/-  |
| ३४.६  | निजी क्षेत्रका हुलाक तथा कुरियर सेवा                   | १०००/-  |
| ३४.७  | पार्सल कुरियर सेवाको मुख्य कार्यालय भएकाहरूलाई         | १५००/-  |
| ३४.८  | पार्सल कुरियर सेवाको शाखा कार्यालय भएकाहरूलाई          | १०००/-  |
| ३५    | <b>बित्तिय सेवा/सहकारी</b>                             |         |
| ३५.१  | क वर्गको वाणिज्य बैंक                                  | १५०००/- |
| ३५.२  | ख वर्गको विकास बैंक                                    | १००००/- |
| ३५.३  | बित्तिय संस्था ग र घ वर्ग                              | ७०००/-  |
| ३५.४  | काउन्टर थप भएमा प्रति काउन्टर                          | ५०००/-  |
| ३५.५  | बिमा एजेन्सीहरू तथा कार्यालयहरू लागि                   | ७०००/-  |
| ३५.६  | बिदेशी मुद्रा सटही /मनि सटही काउण्टर                   | ५०००/-  |
| ३५.७  | मनी ट्रान्सफरहरूको लागि                                | ५०००/-  |
| ३५.८  | एक्सटेन्सन काउन्टर                                     | ५०००/-  |
| ३५.९  | सहकारी बैंक  | ६०००/-  |
| ३५.१० | धितोपत्र कारोबार शाखा कार्यालय                         | ५०००/-  |
| ३५.११ | बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू                            | २०००/-  |
| ३५.१२ | बहुउद्देश्य सहकारी संस्था                              | २०००/-  |

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| ३५.१३ | कृषि सहकारी संस्था  | १०००/- |
| ३५.१४ | उपभोक्ता सहकारी संस्था  | १५००/- |
| ३५.१५ | अन्य सहकारी संस्था  | १५००/- |
| ३६.   | <b>प्रशिक्षण केन्द्र (ईन्स्टिच्युट) हरु</b>                           |        |
| ३६.१  | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्रहरु  | ३०००/- |
| ३६.२  | भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरु सम्बन्धित                                   | ३०००/- |
| ३६.३  | ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टरहरु (व्यक्तिगत)                              | ३०००/- |
| ३६.४  | ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टरहरु (संस्थागत)                               | ३०००/- |
| ३६.५  | सिलाई/बुनाई तथा हस्तकला सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द्रहरु                 | २०००/- |
| ३६.६  | अन्य तालिम/अनुसन्धान तथा शिक्षण तालिम केन्द्रहरु                      | ३०००/- |
| ३७    | <b>ईन्जिनियरिङ्ग वकर्स</b>  |        |
| ३७.१  | क वर्गका ईन्जिनियरिङ्ग वकर्स  | ५०००/- |
| ३७.२  | ख वर्गका ईन्जिनियरिङ्ग वकर्स  | २०००/- |
| ३८    | <b>सवारी साधन मर्मत</b>   |        |
| ३८.१  | बस,ट्रक तथा ठुला सवारी साधन मर्मत गर्ने                               | २५००/- |
| ३८.२  | जिप,कार तथा हल्का सवारी साधन मर्मत गर्ने                              | २०००/- |
| ३८.३  | टेम्पो तथा टेक्टर मर्मत गर्नेलाई                                      | १०००/- |
| ३८.४  | मोटरसाईकल मर्मत गर्नेलाई  | १०००/- |
| ३८.५  | बडी बिल्डर्सका लागि   | ३२००/- |
| ३८.६  | टायर रिसोलिङ्ग  | १४००/- |
| ३८.७  | टायर खोल फिट तथा हावा भर्ने   | ८००/-  |
| ३८.८  | ब्याट्री मर्मत  | ५००/-  |
| ३८.९  | सिट हुड बनाउने व्यवसायीलाई  | १०००/- |
| ३८.१० | फ्युल पम्प तथा पानी तान्ने पम्प मर्मत                                 | १५००/- |
| ३८.११ | मिलहरुको पार्टस तथा अन्य सामान्य मेशिनरी पार्टस मर्मत गर्ने           | १५००/- |
| ३९    | <b>अन्य मर्मत सेवा</b>  |        |
| ३९.१  | रिक्सा,साईकल  | ५००/-  |
| ३९.२  | ईलेक्ट्रोनिक्स तथा ईलेक्ट्रिक्स सामानहरुको मर्मत गर्ने व्यवसायीहरुलाई | १२००/- |
| ३९.३  | स्टोभ,छाता टर्च लाईट जुता ,झोला आदि                                   | ५००/-  |
| ३९.४  | सिलाई मेसिन तथा अन्य घरायसी सामानहरु मर्मत गर्ने व्यवसायीहरुलाई       | ५००/-  |
| ३९.५  | रेडियो,टि.भी.,घडी मोबाईल तथा टेलिभिजन सेट आदि मर्मत                   | ५००/-  |
| ३९.६  | कम्प्युटर ,प्रिन्टर तथा फोटोकपी मर्मत गर्ने व्यवसायीलाई               | १०००/- |
| ३९.७  | धारा तथा अन्य प्लम्बिङ्ग सम्बन्धि कार्य                               | १०००/- |
| ४०    | <b>विज्ञापन सेवा</b>  |        |
| ४०.१  | विज्ञापन एजेन्सीहरुका लागि  | १५००/- |
| ४०.२  | बैदेशिक रोजगार सेवा   | १५००/- |
| ४०.३  | स्वदेशी रोजगार सेवा   | १०००/- |

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ४०.४ | सेक्रेटेरियल सेवा   | १०००/-  |
| ४०.५ | मुख्य कार्यालय भएकाहरूको लागि                                 | ३०००/-  |
| ४०.६ | शाखा कार्यालयहरूको लागि                                       | २०००/-  |
| ४१   | हाउजिङ्ग कम्पनि तथा घर जग्गा खरिद बिक्री -रियल स्टेट          |         |
| ४१.१ | मुख्य कार्यालय भएकाहरूको लागि                                 | १५०००/- |
| ४१.२ | शाखा कार्यालयहरूको लागि                                       | १००००/- |
| ४२   | सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनि                                 |         |
| ४२.१ | दैनिक उपभोग्य वस्तु   | १५००/-  |
| ४२.२ | स्वदेश भित्रै लेवर तथा कामदार                                 | १५००/-  |
| ४२.३ | भाडामा मध्यस्थकर्ता भई सामान ढुवानी गर्नेलाई                  | २०००/-  |
| ४२.४ | अन्य सामग्री (इन्धन,तेल आदि)                                  | २५००/-  |
| ४३   | ब्युटी पार्लर तथा हजाम सेवा                                   |         |
| ४३.१ | श्रृंगारको सामान सहित ब्युटी पार्लर गर्नेहरूलाई               | १०००/-  |
| ४३.२ | ब्युटी पार्लर मात्र गर्ने व्यवसायीहरूलाई                      | ५००/-   |
| ४३.३ | सैलुनहरूलाई   | १०००/-  |
| ४३.४ | मसाज पार्लर तथा स्पा  | १५००/-  |
| ४३.५ | कस्मेटिक तथा गिफ्ट हाउस                                       | १५००/-  |
| ४३.६ | ड्राई क्लिनर्स  | १०००/-  |
| ४४   | स्टुडियो,डिजिटल कलर ल्याब भएकाहरूलाई                          | १०००/-  |
| ४५   | सिलाई तथा बुनाई गर्ने   |         |
| ४५.१ | बजार क्षेत्रमा कपडा सहित सिलाई बुनाई गर्नेहरूलाई              | १५००/-  |
| ४५.२ | सिलाई बुनाई मात्र गर्ने हरुलाई                                | १०००/-  |
| ४६   | साईनबोर्ड बनाउने तथा पेन्टिङ्ग गर्ने                          |         |
| ४६.१ | डिजिटल मेशिन समेत राखि काम गर्ने बजार क्षेत्रलाई              | १०००/-  |
| ४६.२ | ग्रामीण क्षेत्रकालाई  | ८००/-   |
| ४७   | पशु बधशाला  | ५०००/-  |
| ४८   | क्याटरिङ्ग  |         |
| ४८.१ | क्याटरिङ्ग तथा टेन्ट दुबैको लागि                              | १५००/-  |
| ४८.२ | टेन्टहरूको लागि मात्र   | १०००/-  |
| ४९   | केबल नेटवर्किङ्ग व्यवसाय                                      | २५००/-  |
| ५०   | अन्य व्यवसाय  |         |
| ५०.१ | व्यवसायीक रुपमा पार्क तथा पिकनिक स्थल संचालन गर्ने व्यवसायलाई | १५००/-  |
| ५०.२ | पर्यटक तथा तिर्थ यात्रीहरूको सेवा प्रदान गर्नेहरूको लागि      | १५००/-  |
| ५०.३ | शारिरिक व्यायाम क्लब हरुको लागि                               | २०००/-  |
| ५०.४ | टयाटु हाउस  | १५००/-  |
| ५१   | कबाडी सामान व्यवसाय   |         |
| ५१.१ | क वर्गको कबाडी सामान व्यवसायीहरूकव लागि                       | २५००/-  |

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ५१.२ | अन्य साना कबाडी समान व्यवसायिहरुको लागि         | १५००/-  |
| ५२   | <b>उधोगहरु</b>                                  |         |
| ५२.१ | साना उधोग (१५ करोड सम्म स्थिर पूँजी भएको)       | १५०००/- |
| ५२.२ | मझौला उधोग (५० करोड सम्म स्थिर पूँजी भएको)      | २००००/- |
| ५२.३ | ठूला उधोग (५० करोड भन्दा माथि स्थिर पूँजी भएको) | २५०००/- |
| ५३   | <b>निजी शैक्षिक संस्थाहरु</b>                   |         |
| ५३.१ | क्याम्पस स्तर (कक्षा -१० बाट माथि)              | १००००/- |
| ५३.२ | मा.वि.स्तर (कक्षा -१० सम्म)                     | ८०००/-  |
| ५३.३ | नि.मा.वि. स्तर (कक्षा ८ सम्म )                  | ३०००/-  |
| ५३.४ | प्रा.वि.स्तर (कक्षा ५ सम्म)                     | १०००/-  |
| ५४   | <b>होटल तालिम केन्द्र (CTEVT)</b>               |         |
| ५४.१ | ३ महिने तालिम (प्रति व्यक्ति)                   | १००/-   |
| ५४.२ | १५ महिने तालिम (प्रति व्यक्ति)                  | २००/-   |
| ५४.३ | ३ वर्षे तालिम (प्रति व्यक्ति)                   | ३००/-   |

माथि उल्लेख नभएका व्यवसायको हकमा पूँजीको आधारमा निम्नानुसारको व्यवसाय कर लागु गरिनेछ ।

| क्र.सं. | व्यवसायको पूँजी                         | दर      |
|---------|---|---------|
| १       | एकलाख सम्म पूँजी भएको व्यवसाय           | ५००/-   |
| २       | पाँच लाख सम्म पूँजी भएको व्यवसाय        | १०००/-  |
| ३       | दश लाख सम्म पूँजी भएको व्यवसाय          | १५००/-  |
| ४       | पचास लाख सम्म पूँजी भएको व्यवसाय        | २०००/-  |
| ५       | एक करोड सम्म पूँजी भएको व्यवसाय         | ५०००/-  |
| ६       | पाँच करोड सम्म पूँजी भएको व्यवसाय       | १००००/- |
| ७       | पन्ध्र करोड सम्म पूँजी भएको व्यवसाय     | १५०००/- |
| ८       | पचास करोड सम्म पूँजी भएको व्यवसाय       | २००००/- |
| ९       | पचास करोड भन्दा माथि पूँजी भएको व्यवसाय | २५०००/- |

## अनुसूची - ६

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)  
जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर (११६३२)

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु   | इकाई           | प्रस्तावित दर |
|--------|---|----------------|---------------|
| १      | फलाम  |                |               |
| १.१    | पुन प्रयोग हुने र प्रशोधन हुने (Miss Roll/बि ग्रेड/सि ग्रेड/सर्ट लेन्थ) | प्रति के.जी.   | १.०/-         |
| १.२    | ब्लेड/पत्ति/च्यानल/वायर/sheet/coil/एंगल/छाँइ                            | प्रति के.जी.   | ०.५/-         |
| २      | अन्य धातु (पित्तल/तामा आदि)   | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| ३      | थोक्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार                                       | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| ४      | पोलिथिन पाइपका टुक्रा   | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| ५      | जीक   | प्रति के.जी.   | ०.५/-         |
| ६      | झिण्डु  | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| ७      | जलेको मोबिल   | प्रति के.जी.   | १.०/-         |
| ८      | पुरानो ब्याट्री   | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| ९      | कार्पेटका टुक्रा  | प्रति के.जी.   | १.०/-         |
| १०     | पुरानो टायर टयुब  | प्रति के.जी.   | ०.५/-         |
| ११     | उन/कपास   | प्रति के.जी.   | ३.०/-         |
| १२     | जडिबुटी   | प्रति के.जी.   | ५.०/-         |
| १३     | भुस/चोकर  | प्रति ट्रक     | ५००/-         |
| १४     | भुस/चोकर  | प्रति टयाक्टर  | २००/-         |
| १५     | ब्राण्ड   | प्रति क्विनटल  | ५.०/-         |
| १६     | कनिका/खुडी  | प्रति के.जी.   | ०.०५/-        |
| १७     | पराल  | प्रति ट्रक     | २५०/-         |
| १८     | पराल  | प्रति टयाक्टर  | १००/-         |
| १९     | ईटा   | प्रति टयाक्टर  | ५०/-          |
| २०     | काठ   | प्रति क्यु फिट | ५.०/-         |
| २१     | दाउरा   | प्रति क्विनटल  | ३.०/-         |
| २२     | ढूटो/चुत्री/अकडी/दालको भाप  | प्रति के.जी.   | ०.१०/-        |
| २३     | पिना  | प्रति के.जी.   | ०.३/-         |
| २४     | कोइला/क्लिडकर   | प्रति ट्रक     | २५०/-         |
| २५     | डिष्टिलरिबाट निस्केको अन्नको अवशेष                                      | प्रति के.जी.   | ०.२५/-        |
| २६     | पंछिहरुको प्वाँख  | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| २७     | हाड   | प्रति के.जी.   | १.०/-         |
| २८     | सिंग  | प्रति के.जी.   | २.०/-         |
| २९     | खुर   | प्रति के.जी.   | २.०/-         |

|    |   |              |        |
|----|---|--------------|--------|
| ३० | काँचो छाला  | गोटा/पिस     | ३०.०/- |
| ३१ | खाली सीसी (वियर) को बोतल  | गोटा         | १.०/-  |
| ३२ | खाली सीसी र लिड/काँचको टुक्रा                                     | प्रति के.जी. | ०.२५/- |
| ३३ | प्लाष्टिक (बोतल/भाँडाकुँडा/पुराना जुत्ता/चपल/ग्यालन र जर्किन आदि) | प्रति के.जी. | १.०/-  |
| ३४ | जुट तथा प्लाष्टिकको बोरा  | प्रति के.जी. | ०.५०/- |
| ३५ | थोत्रो टिन/जस्ता पाता लगायतको कवाडी                               | प्रति के.जी. | १.०/-  |
| ३६ | प्रयोग भईसकेको खालि ड्रमहरु                                       | गोटा         | १०.०/- |
| ३७ | पुराना कागज (अखवार/न्यूजप्रिन्ट/कार्टुन समेत)                     | प्रति के.जी. | १.०/-  |

### अनुसूची -७

(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधन करको दर (१९४५१)

#### १. सवारी साधन कर (लेखा कोड: १४४५१ )

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु                | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|------------------------------------|---------|---------------|--------|
| १      | ई रिक्सा, रिक्सा तथा ठेला          | बार्षिक | १००/-         |        |
| २      | ई रिक्सा, रिक्सा नामसारी           | बार्षिक | ५००/-         |        |
| ३      | ठेला नामसारी                       | बार्षिक | १००/-         |        |
| ४      | ई रिक्सा, रिक्सा दर्ता शुल्क       | बार्षिक | ३००/-         |        |
| ५      | टेम्पो मोटरप्याड रुट प्रमाणित बापत | बार्षिक | ३००/-         |        |

#### २. पूर्वाधार सेवाको उपयोग कर (लेखा कोड: १४४५२ )

त्रिभुवन राजमार्ग र गण्डक नहर सडक बाहेक

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु                           | इकाई      | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|-----------|---------------|--------|
| १      | ट्रक, बस, हेभी ट्रयाक्टर                      | प्रति दिन | ५०/-          |        |
| २      | मिनिबस, मिनि ट्रक, ट्रयाक्टर                  | प्रति दिन | ३०/-          |        |
| ३      | निजी कार, जीप, डेलिभरीभ्यान पावर टेलर, टेम्पो | प्रति दिन | २०/-          |        |

द्रष्टव्य: एम्बुलेन्स र शववाहनमा उक्त कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

**अनुसूची -८**  
(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)  
**विज्ञापन करको दर(११४७२)**

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु  | इकाई           | प्रस्तावित दर | कैफियत   |
|--------|--|----------------|---------------|--|
| १      | डि.पि.संख्या एस.बोर्डहरु   | प्रति वर्ग फिट | १०/-          | मदिरा जन्य वस्तुहरुको विज्ञापनको दररेटमा थप १५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । |
| २      | प्रचार प्रसार पर्चा पम्पलेट  | प्रति पाना     | १०/-          |  |
| ३      | व्यापारिक होर्डिङ्ग बोर्डहरुको   | प्रति वर्ग फिट | ९०/-          |  |
| ४      | कपडाको तुल तथा फ्रेम नगरिएको फ्लेक्स ब्यानर प्रति थान                                      | प्रति पटक      | २००/-         |  |
| ५      | व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनको स्टल राखि प्रचार प्रचार प्रसार गर्ने कार्य               | प्रति दिन      | १०/-          |  |
| ६      | व्यापारिक वस्तु,सेवा तथा उत्पादनको स्टल राखि प्रचार प्रसार गर्ने कार्य                     | प्रति दिन      | १००/-         |  |
| ७      | विधुतीय/डिजिटल होर्डिङ्ग बोर्ड   | प्रति वर्ग फिट | १००/-         |  |
| ८      | ग्लो साईन बोर्ड/डि.पि.एस.बोर्डहरुलाई १० वर्ग फिट भन्दा साना एक भन्दा बढी बोर्ड राख्ने भएमा | प्रति वर्ग फिट | १००/-         |  |
| ९      | लाईटबोर्ड  | प्रति वर्ग फिट | १२०/-         |  |
| १०     | मुख्य शहरी क्षेत्रको सोलार पोलमा विज्ञापन गर्दा मासिक                                      |                | ३००/-         |  |
| ११     | एल.ई.डी.बोर्ड  | प्रति वर्ग फिट | ५००/-         |  |

**नोट:-** राजनैतिक, धार्मिक, जनचेतनामूलक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा वस्तुहरुको प्रचार सामाग्रीको हकमा गाउँपालिकाको नियमानुसार कर छुट गर्न सकिनेछ। तर यस्ता सामाग्रीहरुको प्रचार प्रसार गर्दा पूर्व स्वीकृत गराई तोकिएको स्थानमा गर्नुपर्ने छ । साथै व्यवसायीले आफ्नो परिचय पाटीमा फर्मको नाम बाहेक अन्य कुनै संकेत तथा तोकिएको आकार प्रकार भन्दा फरक राखेमा तोकिएको दरले पुरा रकम लाग्नेछ ।

## अनुसूची -९

(ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन कर (११४७३)

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई        | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|-------------|---------------|--------|
| १      | तिन महिना सम्म जादु, चटक, सर्कस र रमाईलो मेला   | प्रति दिन   | ५००/-         |        |
| २      | जादु, चटक, सर्कस र रमाईलो मेला तिन महिना पछि  | प्रति महिना | ५०००/-        |        |
| ३      | चलचित्र हल, साँस्कृतिक प्रदर्शन, महोत्सव तथा प्रदर्शनी, डान्सवार, कन्सर्ट, नाटक घर, भिडियो घर, पार्क, वाटरपार्क, इनडोर/आउटडोर फनपार्क, क्यासिनो आदिमा | प्रति टिकट  | ५%            |        |

## अनुसूची -१०

(ऐनको दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

वहाल बितौरी शुल्कको दर (११३१८)

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू  | इकाई                 | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|----------------------|---------------|--------|
|        | पसल  |                      |               |        |
| १      | गाउँपालिकाले आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेको हाट बजार | प्रति वर्ग फीट मासिक | ४० देखि<br>५० |        |
| २      | सार्वजनिक स्थल, बाटो छेउ ऐलानी जग्गामा                     | प्रति वर्ग फीट मासिक | १५ देखि<br>२५ |        |
|        | अस्थायी हाटबजार  |                      |               |        |
| १      | टोकरी पसल  | प्रति दिन            | १०/-          |        |
| २      | साग सब्जी र फलफूल पसल सानो                                 | प्रति दिन            | १५/-          |        |
| ३      | साग सब्जी र फलफूल पसल ठुलो                                 | प्रति दिन            | ३०/-          |        |
| ४      | पकौडा, समोसा, जेरी, पानिपुरी आदि जस्ता पसल सानो            | प्रति दिन            | २०/-          |        |
| ५      | पकौडा, समोसा, जेरी, पानिपुरी आदि जस्ता पसल ठुलो            | प्रति दिन            | ४०/-          |        |
| ६      | माछा, मासु पसल   | प्रति दिन            | ५०/-          |        |
| ७      | अन्य पसल सानो  | प्रति दिन            | १५/-          |        |

## अनुसूची -११

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

### पार्किङ्ग शुल्कको दर (१४२४१)

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                         | इकाई  | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|-------|---------------|--------|
| १      | मोटरसाइकल, स्कुटर जन्य सवारी साधन           | दैनिक | १०/-          |        |
| २      | प्राईभेट कार, जीप, भ्यान जन्य सवारी साधन    | दैनिक | २०/-          |        |
| ३      | विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रति सवारी | दैनिक | १००/-         |        |
| ४      | बस, मिनिबस, ट्रक, टयाक्टर, लहरी प्रति सवारी | दैनिक | ३५/-          |        |
| ५      | साईकल                                       | दैनिक | ५/-           |        |

नोट:-एम्बुलेन्स र शववाहनमा उक्त कर लाग्ने छैन ।

## अनुसूची -१२

(ऐनको दफा १२ सँग सम्बन्धित)

### सेवा शुल्क तथा दस्तुर दर

#### १. नि: शुल्क सेवा

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|------|---------------|--------|
| १      | सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सिफारिस   |      | नि: शुल्क     |        |
| २      | दैनिक प्रकोप सिफारिस  |      | नि: शुल्क     |        |
| ३      | उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण सिफारिस   |      | नि: शुल्क     |        |
| ४      | आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्नता, गरिब तथा असहाय प्रमाणित सिफारिस                        |      | नि: शुल्क     |        |
| ५      | जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद (३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा)             |      | नि: शुल्क     |        |
| ६      | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस   |      | नि: शुल्क     |        |
| ७      | आर्थिक आवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित  |      | नि: शुल्क     |        |
| ८      | गाउँपालिका भित्र आन्तरिक निकाय विचको सिफारिस (जस्तै: उपभोक्ता समिति सम्बन्धी सिफारिस) |      | नि: शुल्क     |        |
| ९      | पेन्शन कार्ड वा सो सम्बन्धी अन्य सिफारिस  |      | नि: शुल्क     |        |

#### २. अन्य पूर्वाधार सेवा उपयोग कर ११४५२

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू | इकाई     | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------|----------|---------------|--------|
| १      | स्थायी संरचना शुल्क | प्रति घर | ५०००/-        |        |

### ३. डिपबोरिङ्ग अनुमति शुल्क १४२१९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई   | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|--------|---------------|--------|
| १      | सेवा मुलक व्यवसायिक संस्थाहरूको लागि (एक भन्दा बढी वडाहरू समेटेर खानेपानि वितरण गर्ने उपभोक्ता समिति वा शैक्षिक तथा अन्य संघसंस्थाहरूको लागि) | एक पटक | १००००/-       |        |
| २      | व्यवसायिक प्रयोजनको लागि (होटल व्यवसाय, मिनिरेल वाटर फ्याक्ट्री, ट्रङ्कर मार्फत खानेपानी वितरण तथा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनको लागि)             | एक पटक | २००००/-       |        |

### ४. गा.पा.का स्वामित्वमा रहेका शौचालयहरू प्रयोग शुल्क १४२१९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू | इकाई     | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------|----------|---------------|--------|
| १      | दिशा                | पटक      | ५/-           |        |
| २      | पिसाब               | निःशुल्क |               |        |
| ३      | स्नान               | पटक      | २०/-          |        |
| ४      | २ पाङ्गरे गाडी      | पटक      | ५०/-          |        |
| ५      | ३ पाङ्गरे गाडी      |          | ७५/-          |        |
| ६      | ४ पाङ्गरे गाडी      |          | १००/-         |        |

### ५. न्यायिक दस्तुर १४२२१

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                       | इकाई       | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|------------|---------------|--------|
| १      | न्यायिक समिति निवेदन दर्ता दस्तुर         | पटक        | १००/-         |        |
| २      | न्यायीक समिति प्रतिउत्तर दर्ता            | पटक        | ७५/-          |        |
| ३      | नक्कल दस्तुर (५ पाना सम्म)                | एकमुष्ट    | १०/-          |        |
| ४      | नक्कल दस्तुर (५ पाना भन्दा माथि)          | प्रति पाना | ५/-           |        |
| ५      | मिलापत्र दस्तुर                           | पटक        | २५/-          |        |
| ६      | अन्य न्यायिक दस्तुर                       | पटक        | २५/-          |        |
| ७      | वकालत सम्बन्धी इजाजत पत्र सम्बन्धी दस्तुर | पटक        | १००/-         |        |

### ६. ठेक्का फारम तथा नक्सापास किताव विक्री दस्तुर १४२२९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|-----------------------|------|---------------|--------|
| १      | दरभाउपत्र फारम विक्री | पटक  | १०००/-        |        |
| २      | बोलपत्र फारम विक्री   | पटक  | ३०००/-        |        |
| ३      | नक्सापास किताव        | गोटा | ७५०/-         |        |

७. "घ" वर्गको ईजाजत पत्र दस्तुर १४२२९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू        | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|----------------------------|------|---------------|--------|
| १      | निवेदन दर्ता दस्तुर        | पटक  | १०००/-        |        |
| २      | ईजाजतत्र प्रतिलिपी दस्तुर  | पटक  | १०००/-        |        |
| ३      | ईजाजतपत्र नवीकरण थप दस्तुर | पटक  | २०००/-        |        |
| ४      | ईजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर    | पटक  | ५०००/-        |        |
| ५      | ईजाजतपत्र दस्तुर           | पटक  | १००००/-       |        |

८. व्यवसाय नविकरण दस्तुर १४२२९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू  | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|---------|---------------|--------|
| १      | खुद्रा/साधारण पसल  | वार्षिक | ३००/-         |        |
| २      | थोक पसल/अन्य ठूला पसल  | वार्षिक | ५००/-         |        |
| ३      | उत्पादनमूलक विशेषज्ञ परामर्श, निर्माण व्यवसायिक पेशामा/कृषि फर्म | वार्षिक | ५००/-         |        |
| ४      | क वर्गको बैंक  | वार्षिक | ५०००/-        |        |
| ५      | वित्तिय सेवा/लघुवित्त  | वार्षिक | २०००/-        |        |
| ६      | स्वास्थ्य सेवा   | वार्षिक | १०००/-        |        |
| ७      | विश्वविद्यालय  | वार्षिक | २०००/-        |        |
| ८      | विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र                                      | वार्षिक | १०००/-        |        |
| ९      | पर्यटकीय स्तरका होटर व्यवसाय                                     | वार्षिक | १०००/-        |        |
| १०     | अन्य होटल व्यवसाय/होमस्टे  | वार्षिक | ५००/-         |        |
| ११     | एफ एम रेडियो   | वार्षिक | १०००/-        |        |
| १२     | पेट्रोल पम्प   | वार्षिक | १०००/-        |        |

९. विभिन्न सिफारिस १४२४३

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                              | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|------|---------------|--------|
| १      | उल्लेख भएका बाहेक सबै सिफारिस                    | पटक  | १००/-         |        |
| २      | नाम, थर, जन्म मिति संशोधन सिफारिस                | पटक  | २००/-         |        |
| ३      | जन्म मिति, नाम थर प्रमाणित                       | पटक  | २००/-         |        |
| ४      | घर जग्गा नामसारी सिफारिस                         | पटक  | २००/-         |        |
| ५      | घर कायम सिफारिस                                  | पटक  | २००/-         |        |
| ६      | स्थायी बसोबास सिफारिस                            | पटक  | २००/-         |        |
| ७      | व्यवसाय बन्द/संचालन नभएको वा हुँदै नभएको सिफारिस | पटक  | १५००/-        |        |
| ८      | घर, ब्लक नं. सिफारिस                             | पटक  | ५००/-         |        |
| ९      | कर चुक्ता प्रमाणीत                               | पटक  | ५००/-         |        |
| १०     | डिलरसिप सिफारिस                                  | पटक  | १०००/-        |        |

|    |   |              |        |  |
|----|---|--------------|--------|--|
| ११ | उद्योग दर्ता सिफारिस                                    | पटक          | १०००/- |  |
| १२ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस                                | पटक          | २००/-  |  |
| १३ | मोहीको लगत कट्टा सिफारिस                                | पटक          | ५००/-  |  |
| १४ | हकवाला संरक्षण सम्बन्धी सिफारिस                         | पटक          | १००/-  |  |
| १५ | घरजग्गा मुल्याङ्कन सिफारिस                              | प्रति हजार   | १/-    |  |
| १६ | पालनपोषणको सिफारिस                                      | पटक          | १००/-  |  |
| १७ | धारा जडान वा विद्युत जडानको सिफारिस                     | पटक          | २००/-  |  |
| १८ | थ्रि फेज लाईन विद्युत जडान सिफारिस                      | पटक          | ५०००/- |  |
| १९ | बन पैदावार सम्बन्धि सिफारिस                             | पटक          | ५००/-  |  |
| २० | तमसुकको रोहवरमा बसेवापत (प्रति हजार)                    | पटक          | ०.५०/- |  |
| २१ | लेनदेन कागज प्रमाणित (प्रति हजार)                       | पटक          | ०.५०/- |  |
| २२ | ना.प्र.नं. र फोटो टाँस सिफारिस                          | पटक          | २००/-  |  |
| २३ | मोठ कायम सिफारिस (कच्ची घर)                             | पटक          | २००/-  |  |
| २४ | मोठ कायम सिफारिस (पक्की घर)                             | पटक          | २००/-  |  |
| २५ | दा.खा. नामसारी श्रेष्ठा कार्यान्वयन: तीन पुस्ते सिफारिस | पटक          | ३००/-  |  |
| २६ | छुट जग्गा दर्ता सिफारिस                                 | प्रति कित्ता | ३००/-  |  |
| २७ | वि टि एस टावरको सिफारिस                                 | पटक          | ५०००/- |  |
| २८ | आन्तरिक बसाईसराई सिफारिस                                | पटक          | ३००/-  |  |
| २९ | रुख कटान सिफारिस  | प्रति बटा    | १५०/-  |  |
| ३० | घरेलु व्यवसाय सिफारिस (पसल,गाईभैसी,बाखा,डेरी ईत्यादि)   | प्रति बटा    | ५००/-  |  |
| ३१ | संघ संस्था दर्ता सिफारिस                                | प्रति पटक    | १२००/- |  |
| ३२ | जन्म तथा विवाह सम्बन्धी सिफारिस फोटो सहित               | प्रति पटक    | १००/-  |  |
| ३३ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित                                | प्रति पटक    | २००/-  |  |
| ३४ | घडेरी सार्नु वा घडेरी पुर्नु पर्दाको सिफारिस दस्तुर     | प्रति घ.मि   | ३/-    |  |
| ३५ | जिवित रहेको सिफारिस                                     | प्रति पटक    | ३००/-  |  |
| ३६ | पति पत्नी बिच सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस                 | प्रति पटक    | ५००/-  |  |
| ३७ | गाई/भैसी खरिद गरि अन्य ठाउँमा लगने सम्बन्धि सिफारिस     | प्रति पटक    | ५००/-  |  |

#### १०. मालपोत सिफारिस १४२४३

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|------|---------------|--------|
| १      | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (घडेरी जग्गाको क्षेत्रफल १० धुरसम्म)                      | पटक  | १५०/-         |        |
| २      | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (घडेरी जग्गाको क्षेत्रफल १ कठ्ठा सम्म)                    | पटक  | ३००/-         |        |
| ३      | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (घडेरी जग्गाको क्षेत्रफल १ कठ्ठा भन्दा माथि ५ कठ्ठा सम्म) | पटक  | ५००/-         |        |

|   |   |     |        |  |
|---|---|-----|--------|--|
| ४ | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (घडेरी जग्गाको क्षेत्रफल ५ कठ्ठा भन्दा माथि)                    | पटक | १०००/- |  |
| ५ | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ५ कठ्ठासम्म)                       | पटक | ३००/-  |  |
| ६ | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ५ कठ्ठा भन्दा बढि १ बिघासम्म भएमा) | पटक | ५००/-  |  |
| ७ | मालपोत कार्यालयलाई घर, बाटो सिफारिस (खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल १ बिघा भन्दा बढी भएमा)             | पटक | १०००/- |  |

### ११. चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर १४२४३

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरू                               | इकाई      | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|-----------|---------------|--------|
| १      | चार किल्ला प्रमाणित औद्योगिक प्रयोजनको हकमा       | प्रति धुर | २०/-          |        |
| २      | चार किल्ला र चौहदी प्रमाणित आवासिय प्रयोजनको हकमा | प्रति धुर | १०/-          |        |
| ३      | चार किल्ला र चौहदी प्रमाणित कृषि प्रयोजनको हकमा   | प्रति धुर | ५/-           |        |

### १२. घरबाटो प्रमाणित दस्तुर (अंश प्रयोजनका लागि मात्र) १४२४३

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरू   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|------|---------------|--------|
| क      | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) सँग जोडिएको जग्गाहरू |      |               |        |
| १      | ६ धुर सम्म  | पटक  | ८००/-         |        |
| २      | १२ धुर  | पटक  | १५००/-        |        |
| ३      | १ कठ्ठा सम्म  | पटक  | २५००/-        |        |
| ४      | १ कठ्ठा देखि माथि प्रति धुर थप                                  | पटक  | ७५/-          |        |
| ख      | अन्य पक्की/ढलान बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरू                        |      |               |        |
| १      | ६ धुर सम्म  | पटक  | ६००/-         |        |
| २      | १२ धुर  | पटक  | ८००/-         |        |
| ३      | १ कठ्ठा सम्म  | पटक  | १२००/-        |        |
| ४      | १ कठ्ठा देखि माथि प्रति धुर थप                                  | पटक  | ५०/-          |        |
| ग      | कच्ची बाटो/ग्रेभल रोडसँग जोडिएका जग्गाहरू                       |      |               |        |
| १      | ६ धुर सम्म  | पटक  | ४००/-         |        |
| २      | १२ धुर  | पटक  | ६००/-         |        |
| ३      | १ कठ्ठा सम्म  | पटक  | ८००/-         |        |
| ४      | १ कठ्ठा देखि माथि प्रति धुर थप                                  | पटक  | २५/-          |        |
| घ      | बाटोले नछोएका जग्गाहरू  |      |               |        |
| १      | ६ धुर सम्म  | पटक  | २००/-         |        |
| २      | १ कठ्ठासम्म   | पटक  | ५००/-         |        |

|    |                                |     |       |  |
|----|--------------------------------|-----|-------|--|
| क३ | १ कट्टा देखि माथि प्रति धुर थप | पटक | १०/-  |  |
| ड  | पुर्जामा घर कायम (पक्की घर)    | पटक | ३००/- |  |
| च  | पुर्जामा घर कायम (कच्ची घर)    | पटक | २००/- |  |
| छ  | जग्गा धनि पुर्जा हराएको        | पटक | ३००/- |  |
| झ  | कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित    | पटक | २००/- |  |

### १३. घटना दर्ता दस्तुर १४२४४

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू  | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|------|---------------|--------|
| १      | नागरिकता सिफारिस   | पटक  | १००/-         |        |
| २      | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस   | पटक  | १००/-         |        |
| ३      | जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद (समयभित्र दर्ता नगरेमा) | पटक  | २००/-         |        |
| ४      | घटना दर्ता प्रतिलिपी (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध बिच्छेद)  | पटक  | ५००/-         |        |
| ५      | विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित (नेपालीमा)                        | पटक  | २००/-         |        |
| ६      | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित   | पटक  | २००/-         |        |

### १४. नाता प्रमाणित दस्तुर १४२४५

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                    | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|------|---------------|--------|
| १      | नाता प्रमाणित (मृतकसंग सम्बन्धित भएमा) | पटक  | १००/-         |        |
| २      | अन्य नाता प्रमाणित (नेपालीमा)          | पटक  | १५०/-         |        |
| ३      | अन्य नाता प्रमाणित (अंग्रेजीमा)        | पटक  | ३००/-         |        |
| ४      | संगोल/एकल परिवार प्रमाणित              | पटक  | ३००/-         |        |

### १५. विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|------|---------------|--------|
| १      | सम्पत्ति कर प्रतिलिपी                 | पटक  | २००/-         |        |
| २      | घर पाताल प्रमाणित                     | पटक  | २००/-         |        |
| ३      | उजुरी-सबै प्रकारको सामान्य            | पटक  | २००/-         |        |
| ४      | सामान्य सर्जिमिन मुचुल्का             | पटक  | ३००/-         |        |
| ५      | उद्योग सर्जिमिन मुचुल्का दस्तुर       | पटक  | ५००/-         |        |
| ६      | कोठा खोल्ने कार्य/रोहवरमा बस्ने कार्य | पटक  | ५००/-         |        |
| ७      | कागज/मन्जुरीनामा प्रमाणित             | पटक  | २००/-         |        |
| ८      | हकवाला वा हकदार प्रमाणित              | पटक  | ५००/-         |        |
| ९      | अविवाहित प्रमाणित                     | पटक  | २००/-         |        |
| १०     | अपुताली सिफारिस                       | पटक  | १०००/-        |        |
| ११     | अंश भर्पाइ दस्तुर                     | पटक  | ५००/-         |        |
| १२     | व्यवसाय नामसारी शुल्क रु.             | पटक  | ५००/-         |        |

|    |   |                |         |  |
|----|---|----------------|---------|--|
| १३ | वित्ता जग्गा दर्ता नामसारी  | प्रतिकित्ता    | ५००/-   |  |
| १४ | जोत नामसारी सिफारिस   | प्रति कट्टा    | १०००/-  |  |
| १५ | जोत छोटपत्र र लागत कट्टा  | प्रतिकित्ता    | १०००/-  |  |
| १६ | गुठी जग्गा राज गुठीमा र रैतान नं. परिणत दर्ता नामसारी प्रतिकट्टा                  | प्रतिकित्ता    | १०००/-  |  |
| १७ | जग्गा रेखाङ्कन कार्य  | पटक            | १०००/-  |  |
| १८ | सार्वजनिक संरचना मर्मत सेवा शुल्क   | बार्षिक        | ५०००/-  |  |
| १९ | पक्की/ढलान सडक कटान दस्तुर प्रति वर्गमिटर घरौटी                                   | प्रति वर्गमिटर | ५०००/-  |  |
| २० | गाउँपालिकाको अमिनको सेवा लिन चाहेमा सेवा शुल्क बापत                               | पटक            | १५००/-  |  |
| २१ | आर्थिक आवस्था बलियो वा सम्पन्नमा प्रमाणित   | पटक            | १०००/-  |  |
| २२ | साधारण सिफारिस दस्तुर (मधेशी, दलित, आदिवासी लगायत अन्य)                           | पटक            | १००/-   |  |
| २३ | चरित्र सिफारिस दस्तुर (नेपाली)  | पटक            | १००/-   |  |
| २४ | चरित्र सिफारिस दस्तुर (अंग्रेजी)  | पटक            | १००/-   |  |
| २५ | बैदेशिक सिफारिस दस्तुर (भारतको लागि)  | पटक            | २००/-   |  |
| २६ | बैदेशिक सिफारिस दस्तुर (भारत बाहेकको मुलुकको लागि)                                | पटक            | ५००/-   |  |
| २७ | सडक पिच कटान दस्तुर (चौडाई १ फिट कम भएमा प्रति रनिड फिट र बढी भएमा प्रति वर्गफिट) | पटक            | १०००/-  |  |
| २८ | व्यवसायिक बजार सञ्चालन दर्ता सिफारिस दस्तुर                                       | पटक            | ५००/-   |  |
| २९ | जग्गा नापी दस्तुर (१ कित्ता)  | पटक            | १२००/-  |  |
| ३० | जग्गा नापी दस्तुर (१ कित्ता भन्दा बढी प्रति कित्ता)                               | पटक            | १०००/-  |  |
| ३१ | सुचीदर्ता दस्तुर  | पटक            | ३००/-   |  |
| ३२ | साधारण निवेदन दर्ता दस्तुर  | पटक            | १०/-    |  |
| ३३ | नागरिकता अनुसूची र प्रतिलिपि फारम (नेपाली कागज)                                   | पटक            | २०/-    |  |
| ३४ | नागरिकता अनुसूची बाहेकका सबै फारम मूल्य   | पटक            | १०/-    |  |
| ३५ | लोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि निवेदन दस्तुर                            | पटक            | ५००/-   |  |
| ३६ | साध सिमाना सम्बन्धि उजुरी एवं निवेदन दस्तुर                                       | पटक            | १००/-   |  |
| ३७ | मिलापत्र एवं सहमतिको निवेदन दस्तुर  | पटक            | १००/-   |  |
| ३८ | घरनक्सा पास प्रयोजनको लागि गाउँपालिको अमिन खटाउँदा लाग्ने निवेदन दस्तुर           | प्रति कित्ता   | ३०००/-  |  |
| ३९ | महिला समूह/कृषक समूह दर्ता  | पटक            | ५००/-   |  |
| ४० | ठूलो उद्योग नाम संसोधन/परिवर्तन दस्तुर  | पटक            | ५०००/-  |  |
| ४१ | मेलमिलाव कर्ताको आवेदन दस्तुर   | पटक            | १००/-   |  |
| ४२ | सहकारी संस्था दर्ता   | पटक            | १२०००/- |  |
| ४३ | कृषि सहकारी संस्था लि. नविकरण   | पटक            | ५००/-   |  |

|    |                             |             |        |  |
|----|-----------------------------|-------------|--------|--|
| ४४ | टेक्टर                      | प्रति ट्रिप | २५/-   |  |
| ४५ | कक्षा अपग्रेडिङ्ग           | पटक         | ३०००/- |  |
| ४६ | कक्षा आठ मार्कसिट प्रतिलिपि | पटक         | ३००/-  |  |
| ४७ | महिला समूह/कृषक समूह नविकरण | पटक         | रु १०० |  |

#### १६. बैदेशिक प्रयोजनका लागि अङ्ग्रेजीमा सिफारिस १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू             | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------------------|------|---------------|--------|
| १      | नाता प्रमाणित                   | पटक  | ५००/-         |        |
| २      | जन्म प्रमाणित                   | पटक  | ५००/-         |        |
| ३      | विवाहित र अविवाहित प्रमाणित     | पटक  | ५००/-         |        |
| ४      | सबै प्रकारका अङ्ग्रेजी डकुमेन्ट | पटक  | ५००/-         |        |

#### १७. वार्षिक आमदानी प्रमाणित तथा रकम कलम उठाएको दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|------|---------------|--------|
| १      | सम्पत्ती मूल्यांकन वैदेशिक प्रयोजन (अङ्ग्रेजी)                      | पटक  | ३०००/-        |        |
| २      | सम्पत्ती मूल्यांकन दस्तुर नेपालीमा                                  | पटक  | २०००/-        |        |
| ३      | आमदानी प्रमाणित (परिवारको वार्षिक आय पाँच लाख भन्दा कम भएमा)        | पटक  | ५००/-         |        |
| ४      | आमदानी प्रमाणित (परिवारको वार्षिक आय पाँच लाख भन्दा बढी भएमा)       | पटक  | १०००/-        |        |
| ५      | न्यायीक प्रक्रियाबाट रकम कलम उठाइ दिएमा उठेको रकमको प्रशासनिक शुल्क | पटक  | ५००/-         |        |

#### १८. ढल निकास जडान तथा अवलोकन सेवा शुल्क १४२४९

| सि.नं. | कम्प्युटर कोड | राजश्वको क्षेत्रहरू                      | इकाई     | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------|--|----------|---------------|--------|
| १      | ३०१०          | ढल निकास जडान सेवा शुल्क पुरानो घर       | प्रति घर | १०००/-        |        |
| २      | ३००९          | ढल निकास जडान सेवा शुल्क नयाँ घर निर्माण | प्रति घर | २०००/-        |        |
| ३      | ३०११          | अनुमति नलिई पुरानो घरको ढल जडान गर्दा    | प्रति घर | ३०००/-        |        |

#### १९. हाउजिङ्ग शुल्क तथा प्लटिङ्ग सिफारिस दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू  | इकाई        | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|-------------|---------------|--------|
| १      | जग्गा प्लटिङ्ग सिफारिस दस्तुर  | प्रति कठ्ठा | ५०००/-        |        |
| २      | जग्गा प्लटिङ्ग सेवा शुल्क  | प्रति कठ्ठा | ७०००/-        |        |
| ३      | घडेरी खार्नु वा घडेरी पुर्नु पर्दा   | प्रति घ.मि. | ३/-           |        |
| ४      | जग्गा प्लटिङ्ग क्षेत्रमा विगत वर्ष देखी घडेरी किनी बसेकालाई सिफारिस लिन आउदा | प्रति धुर   | २००/-         |        |
| ५      | हाउजिङ्ग अनुमति शुल्क  | प्रति धुर   | ७०००/-        |        |

२०. विद्यालय संचालन अनुमति/स्वीकृत, कक्षा वृद्धि अनुमति/स्वीकृत, विषय थप अनुमति/स्वीकृत/नाम परिवर्तन/ठाउँसारी १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु                  | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--------------------------------------|------|---------------|--------|
| १      | प्राथमिक तहहरु (संस्थागत)            | पटक  | ३०००/-        |        |
| १      | आधारभूत तहहरु (संस्थागत)             | पटक  | ५०००/-        |        |
| २      | माध्यमिक तह (संस्थागत)               | पटक  | ७०००/-        |        |
| ३      | आधारभूत थप कक्षा सिफारिस (संस्थागत)  | पटक  | २०००/-        |        |
| ४      | माध्यमिक थप कक्षा सिफारिस (संस्थागत) | पटक  | ३०००/-        |        |
| ५      | सामुदायिक विद्यालय                   | पटक  | निःशुल्क      |        |

२१. कित्ताकाट सिफारिस १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु  | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|---------|---------------|--------|
| १      | कित्ताकाट गर्न (अंशबण्डा र व्यक्तिगत प्रयोजनलाई)                   | पटक     | २००/-         |        |
| २      | ५ कट्टा सम्म (व्यवसायिक जग्गाको हकमा)                              | एकमुष्ठ | ३०००/-        |        |
| ३      | ५ कट्टा भन्दा माथि (व्यवसायिक जग्गाको हकमा)                        | एकमुष्ठ | ६०००/-        |        |
| ४      | हकवाला र हकदार सिफारिस   | पटक     | ३००/-         |        |
| ५      | नामसारी गर्न सिफारिस   | पटक     | २००/-         |        |
| ६      | जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारिस  | पटक     | २००/-         |        |
| ७      | उद्योग ठाँउसारी (बाह्य क्षेत्रबाट गाउँपालिकामा सार्न)              | पटक     | ५००/-         |        |
| ८      | उद्योग ठाँउसारी (गाउँपालिका क्षेत्रबाट बाह्य सार्न)                | पटक     | १५००/-        |        |
| ९      | उद्योग ठाँउसारी (गाउँपालिका क्षेत्र भित्रै ठाँउसारी गर्न)          | पटक     | ५००/-         |        |
| १०     | उद्योगको सर्जिमिन गर्न   | पटक     | ५००/-         |        |
| ११     | सामान्य सर्जिमिन गर्न  | पटक     | ३००/-         |        |
| १२     | निजी विद्यालयको ठाँउसारी (बाह्य क्षेत्रबाट गाउँपालिकामा सार्न)     | पटक     | ५००/-         |        |
| १३     | निजी विद्यालयको ठाँउसारी (गाउँपालिका क्षेत्रबाट बाह्य सार्न)       | पटक     | १०००/-        |        |
| १४     | निजी विद्यालयको ठाँउसारी (गाउँपालिका क्षेत्र भित्रै ठाँउसारी गर्न) | पटक     | ३००/-         |        |

२२. अन्तराष्ट्रिय/गैसस सिफारिस दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु             | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------------------|------|---------------|--------|
| १      | अन्तराष्ट्रिय गैसस              | पटक  | ५०००/-        |        |
| २      | राष्ट्रिय गैसस                  | पटक  | १०००/-        |        |
| ३      | अन्य गैसस क्लब                  | पटक  | ५००/-         |        |
| ४      | पूर्व सहमति सिफारिस ५० लाख सम्म | पटक  | ५०००/-        |        |
| ५      | पूर्व सहमति सिफारिस ५० लाख माथि | पटक  | १००००/-       |        |

२३. घरायसी लेनदेनको कागज रोहबर प्रमाणिकरण दस्तुर १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू     | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|-------------------------|------|---------------|--------|
| १      | ५ लाखसम्म               | पटक  | ५००/-         |        |
| २      | ५ लाख माथि थप प्रति लाख | पटक  | १००/-         |        |

२४. विद्युत, टेलिफोन पोल शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू             | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------------------|---------|---------------|--------|
| १      | सिमेन्ट पोल प्रतिवर्ष प्रति पोल | बार्षिक | ६००/-         |        |
| २      | काठको पोल प्रति वर्ष प्रति पोल  | बार्षिक | ८००/-         |        |
| ३      | फलामको पोल प्रति वर्ष प्रति पोल | बार्षिक | ८००/-         |        |

२५. विद्युत ट्रान्सफर्मर शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू            | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--------------------------------|---------|---------------|--------|
| १      | सिमेन्ट पोल प्रति ट्रान्सफर्मर | बार्षिक | ८००/-         |        |
| २      | काठको पोल प्रति ट्रान्सफर्मर   | बार्षिक | १२००/-        |        |
| ३      | फलामको पोल प्रति ट्रान्सफर्मर  | बार्षिक | १२००/-        |        |

२६. टावर शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------|---------|---------------|--------|
| १      | मोबाईल टावर         | बार्षिक | १५०००/-       |        |
| २      | दुर सञ्चार टावर     | बार्षिक | ७०००/-        |        |
| ३      | एफ.एम रेडियो टावर   | बार्षिक | ५०००/-        |        |

२७. भवन सम्बन्धी सिफारिस १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू                    | इकाई     | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|--|----------|---------------|--------|
| १      | घर ब्लक नं. दस्तुर                     | प्रति घर | ५२५/-         |        |
| २      | भवन घर निर्माण गर्ने व्यक्ति (ठेकेदार) | प्रति घर | १०००/-        |        |
| ३      | घर नक्शा-पास उजुरी दस्तुर              | प्रति घर | ३०००/-        |        |
| ४      | आंशिक निर्माण सम्पन्न सिफारिस          | प्रति घर | ५००/-         |        |
| ५      | घर नक्सा पास फाराम                     | प्रति घर | ७५०/-         |        |
| ६      | घर नक्साको प्रतिलिपि                   | प्रति घर | ५००/-         |        |
| ७      | घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण-पत्र         | प्रति घर | १०००/-        |        |

२८. गाउँपालिकाबाट जिल्लान्तर सरुवा भइ जाने/आउने तथा अन्तर पालिका एवं जिल्ला तहमा शिक्षकको सरुवा सहमति र अभिलेखिकरण शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू         | इकाई | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|-----------------------------|------|---------------|--------|
| १      | अन्तर जिल्ला माध्यमिक       | पटक  | २०००/-        |        |
| २      | अन्तर जिल्ला निम्न माध्यमिक | पटक  | १५००/-        |        |
| ३      | अन्तर जिल्ला प्राथमिक       | पटक  | १०००/-        |        |
| ४      | अन्तर पालिका माध्यमिक       | पटक  | १५००/-        |        |
| ५      | अन्तर पालिका निम्न माध्यमिक | पटक  | १०००/-        |        |
| ६      | अन्तर पालिका प्राथमिक       | पटक  | ५००/-         |        |
| ७      | अभिलेखिकरण                  | पटक  | ५००/-         |        |

२९. काठ दाउरा निकासी शुल्क १४२४९

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू | इकाई       | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---------------------|------------|---------------|--------|
| १      | दाउरा निकासी        | प्रति ट्रक | ५००/-         |        |
| २      | काठ निकासी          | प्रति ट्रक | १०००/-        |        |

३०. रेडियो/एफ.एम. दस्तुर १४२५४

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू         | इकाई    | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|-----------------------------|---------|---------------|--------|
| १      | रेडियो/एफ.एम. संचालन दस्तुर | बार्षिक | २५०००/-       |        |
| २      | रेडियो/एफ.एम. नविकरण        | बार्षिक | १००००/-       |        |

३१. सरकारी सम्पत्ती प्रयोगबाट प्राप्त हुने भाडा १४१५१

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरू   | इकाई        | प्रस्तावित दर | कैफियत |
|--------|---|-------------|---------------|--------|
| १      | जेटिङ मेशिन/सक्शन मेशिन (गाउँपालिका क्षेत्रभित्र)                         | प्रति ट्रिप | १५००/-        |        |
| २      | जेटिङ मेशिन/सक्शन मेशिन (गाउँपालिका बाहिर)                                | प्रति ट्रिप | २५००/-        |        |
| ३      | जे.सि.बि. (ईन्धन सहित) (गाउँपालिका क्षेत्रभित्र)                          | प्रतिघण्टा  | २४००/-        |        |
| ४      | जे.सि.बि. (ईन्धन बाहेक) (गाउँपालिका क्षेत्रभित्र)                         | प्रतिघण्टा  | १२००/-        |        |
| ५      | जे.सि.बि. (ईन्धन बाहेक) (गाउँपालिका क्षेत्र बाहिर बिरगंज, कलैया र जितपुर) | प्रतिघण्टा  | ५०००/-        |        |
| ६      | ट्रिपर (ईन्धन बाहेक गाउँपालिका क्षेत्रभित्र)                              | प्रति ट्रिप | ४०००/-        |        |
| ७      | ट्रिपर (ईन्धन बाहेक गाउँपालिका क्षेत्र बाहिर बिरगंज, कलैया र जितपुर)      | प्रति ट्रिप | ६०००/-        |        |
| ८      | टयाक्टर (ईन्धन बाहेक गाउँपालिका क्षेत्रभित्र)                             | प्रति दिन   | २०००/-        |        |
| ९      | सभाहल भाडा  | प्रति दिन   | ३०००/-        |        |
| १०     | सटर भाडा (पहिलो स्तर)   | मासिक       | ७०००/-        |        |
| ११     | सटर भाडा (दोस्रो स्तर)  | मासिक       | ५०००/-        |        |
| १२     | सटर भाडा (तेस्रो स्तर)  | मासिक       | ४०००/-        |        |
| १३     | पानी टयांकी मात्र   | प्रति दिन   | १०००/-        |        |
| १४     | टयाक्टरको साथमा पानी टयांकी (ईन्धन बाहेक)                                 | प्रति दिन   | २५००/-        |        |

## अनुसूची - १३

सेवा शुल्क, दस्तुरको दर (१४२१९)

फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क प्रति महिना

| क्र.स. | विवरण                                   | दर रु | क्र.स. | विवरण                                       | दर रु |
|--------|---|-------|--------|---|-------|
| १      | दुई/तीन पाङ्ग्रे वर्कशप                 | ७५    | २१     | विधुत पसल                                   | १००   |
| २      | साना सवारी वर्कशप                       | १५०   | २२     | सुन चाँदी पसल                               | १००   |
| ३      | ठुला सवारी वर्कशप                       | २५०   | २३     | पुस्तक पसल                                  | १००   |
| ४      | घुम्ती पसल (१५ मिटर र २५ मिटर बाहिरका)  | ५०    | २४     | पोलिक्लिनिक                                 | ३००   |
| ५      | कोल्ड स्टोर                             | १५०   | २५     | १५-२५ बेड हस्पिटल                           | १०००  |
| ६      | ट्रेडर्स                                | १५०   | २६     | २५-५० बेड हस्पिटल                           | १५००  |
| ७      | किराना पसल                              | ७५    | २७     | ठेला(दैनिक)                                 | १०    |
| ८      | अटो शोरुम                               | १५०   | २८     | फेन्सी स्टोर                                | १००   |
| ९      | रेस्टुरेन्ट-खाना,नास्ता                 | ३००   | २९     | जुत्ता पसल                                  | ७५    |
| १०     | लज तथा रेस्टुरेन्ट                      | ५००   | ३०     | प्रेस छापाखाना                              | १५०   |
| ११     | चिया,खाजा होटल                          | १००   | ३१     | फोटो स्टुडियो                               | ७५    |
| १२     | लज                                      | १५०   | ३२     | टिकट काउन्टर(दैनिक)                         | १०    |
| १३     | रेस्टुरेन्ट विथ पार्टि प्यालेस          | १०००  | ३३     | फार्मेसी                                    | १२५   |
| १४     | पेट्रोल पम्प                            | १५०   | ३४     | औषधी पसल                                    | १२५   |
| १५     | फ्रेस हाउस                              | १५०   | ३५     | भाडा पसल                                    |       |
| १६     | ब्युटी पार्लर र सैलुन                   | १५०   | ३६     | तरकारी पसल-१५ र २५ मिटर बाहेकका पसल (दैनिक) | १०    |
| १७     | सहकारी                                  | १००   | ३७     | घर(त्रिभुवन राजपथ खण्ड)                     | ५०    |
| १८     | बैंक                                    | ४००   | ३८     | हाईवे बाहेक भित्री घर                       | ४०    |
| १९     | विधालय -निजी                            | ५००   | ३९     | कुटान पिसान मिल                             | १२५   |
| २०     | फलफुल पसल -१५ र २५ मिटर बाहेकका (दैनिक) | १०    | ४०     | अन्यमाथि उल्लेख नभएका पसल                   | १००   |
|        | जरिवाना                                 |       |        | २०००/-                                      |       |

नक्सा पास तथा नामसारी दस्तुर

लेखा कोड: १४२४२

| सि.नं.                         | विवरण   | इकाई          | प्रस्तावित दर              | कैफियत |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------|
| <b>क) नक्सा पास दस्तुर</b>     |   |               |                            |        |
| १                              | सुर्खिचुना जोडाई प्रतिघर  | प्रति बर्गफिट | ५/-                        |        |
| २                              | माटो जोडाईको घर   | प्रति बर्गफिट | ५/-                        |        |
| ३                              | अस्थायी टहरा ५०० प्रति बर्गफिट सम्म   | प्रति बर्गफिट | ५/-                        |        |
| ४                              | अस्थायी टहरा ५०० प्रति बर्गफिट भन्दा माथि   | प्रति बर्गफिट | १०/-                       |        |
| ५                              | सिमेन्ट जोडिईको पक्की भुईतल्ला मात्र  | प्रति बर्गफिट | १०/-                       |        |
| ६                              | सिमेन्ट जोडिईको पक्की भुईतल्ला भन्दा माथि   | प्रति बर्गफिट | १२/-                       |        |
| ७                              | होटल व्यवसाय, पोलिट्रफम, उद्योग, अस्पताल, विश्वविद्यालय र सपिड कम्प्लेक्सको लागि प्रति बर्गफिट  | प्रति बर्गफिट | २०/-                       |        |
| ८                              | त्रिभुवन/महेन्द्र राजमार्ग (बिरगंज/पथलैया) क्षेत्रका हकमा प्रति बर्गफिट रु  | प्रति बर्गफिट | १५/-                       |        |
| ९                              | कम्पाउण्ड वाल सिमेन्ट जाडाई प्रति बर्ग फिट  | रनिङ्ग फिट    | ८/-                        |        |
| १०                             | जम्मा क्षेत्रफल ५००० बर्ग फिट भन्दा माथि  | प्रति बर्गफिट | २०/-                       |        |
| ११                             | माटोको जोडाईले ट्रस्ट लगाई काठ प्रयोग गरी बनाईएको घरहरु (कच्ची) व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रति बर्ग फिट रु.   | प्रति बर्गफिट | ६/-                        |        |
| <b>ख) नक्सा नामसारी दस्तुर</b> |   |               |                            |        |
| १                              | पारिवारिक   | प्रति बर्गफिट | ५/-                        |        |
| २                              | व्यवसायिक   | प्रति बर्गफिट | १०/-                       |        |
| ३                              | औद्योगिक  | प्रति बर्गफिट | १२/-                       |        |
| ४                              | भवन ऐनले तोकेको "क" र "ख" वर्गका भवनहरुको स्टक्टर विश्लेषण र छलफल गर्नु पर्ने भएकोले यसको लागि गा.पा.लाई विज्ञ परार्शदाता आवश्यक पर्ने देखिदा यस्ता घरहरुको अतिरिक्त शुल्क                | प्रति बर्गफिट | २/-                        |        |
| ५                              | स्थानीय सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ बमोजिम भवन निर्माण अवधि २ बर्ष हुनेछ र दफा ३ बमोजिम २ बर्षमा म्याद थप गर्न सकिनेमा स्थानीय सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ (३) बमोजिमको दस्तुर लाग्ने |               | पहिलेको दस्तुरको ५ प्रतिशत |        |
| ६                              | साविक गाविस हुदाँ बनेका घरहरुको नियमानुसारको प्रक्रिया पुरा गरी घर नक्सा अभिलेखीकरण आएमा गाउँपालिकाको नियमित दस्तुर लिइ अभिलेखीकरण गरिनेछ ।   |               | नियमित शुल्क               |        |

|   |  |  |               |  |
|---|--|--|---------------|--|
| ७ | भवन निर्माण गर्न अनुमति पाई समय भित्रै (नियमानुसारको म्याद थप भएका समेत) भवन निर्माण सम्पन्न गरी निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिइ आएमा  |  | निःशुल्क      |  |
| ८ | भवन निर्माण गर्न अनुमति पाई समय भित्रै (नियमानुसारको म्याद थप भएका समेत) भवन निर्माण सम्पन्न नभइ आसिक मात्र निर्माण भएका घरको हकमा हाल तल्ला थप गर्दा तल्ला थपको प्रकृया अपनाउनु पर्ने यसरी प्रकृया अपनाउदा भवन सम्बन्धी मापदण्ड र आचार संहिता अनुसार अनुमति दिइ हालको नियमित दस्तुर लागने |  | नियमित दस्तुर |  |

**नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुरको दर (नयाँ घर निर्माण गर्दा लागने नक्सा पास)**

| क्र.सं. | तल्ला                          | आवासिय भवन                     |                                     | व्यापारिक भवन<br>संस्थागत      |                                     | औद्योगिक भवन                   |                                     |               |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|         |                                | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | ट्रस<br>गोदाम |
| १       | भुई तल्ला (प्रति वर्ग फिट)     | ३                              | २.५                                 | ४.५                            | ४                                   | ६                              | ५.५                                 | ८             |
| २       | पहिलो तल्ला (प्रति वर्ग फिट)   | ३.५                            | ३                                   | ५                              | ४.५                                 | ७                              | ६                                   | ०             |
| ३       | दोश्रो तल्ला (प्रति वर्ग फिट)  | ४.५                            | ४                                   | ५.५                            | ५                                   | ७.५                            | ६.५                                 | ०             |
| ४       | तेश्रो तल्ला (प्रति वर्ग फिट)  | ५                              | ४.५                                 | ६                              | ५.५                                 | ८                              | ७                                   | ०             |
| ५       | सो भन्दा माथिको                | ६.५                            | ५                                   | ७                              | ६                                   | ९                              | ७.५                                 | ०             |
| ६       | कम्पाउण्ड वाल (प्रति वर्ग फिट) | २                              |                                     | ३                              |                                     | ४                              |                                     |               |

नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुरको दर (पुरानो निर्माण भएको घरको नक्सा पास नियमित गराउँदा लाग्ने दस्तुर)

| क्र.सं. | तल्ला                             | आवासिय भवन                     |                                     | व्यापारिक भवन<br>संस्थागत      |                                     | औद्योगिक भवन                   |                                     |               |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|         |                                   | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | आ.सी.सी.<br>फ्रेम<br>स्ट्रक्चर | लोड<br>वेयरिङ्ग<br>वाल<br>स्ट्रक्चर | ट्रस<br>गोदाम |
| १       | भुई तल्ला (प्रति<br>वर्ग फिट)     | ३                              | २.५                                 | ४                              | ३.५                                 | ५.५                            | ५                                   | ७.५           |
| २       | पहिलो तल्ला<br>(प्रति वर्ग फिट)   | ३.५                            | ३                                   | ४.५                            | ४                                   | ७.५                            | ७                                   | ०             |
| ३       | दोश्रो तल्ला<br>(प्रति वर्ग फिट)  | ४                              | ३.५                                 | ५                              | ४.५                                 | ७                              | ६.५                                 | ०             |
| ४       | तेश्रो तल्ला<br>(प्रति वर्ग फिट)  | ४.५                            | ४                                   | ५.५                            | ५                                   | ७.५                            | ७                                   | ०             |
| ५       | सो भन्दा<br>माथिको                | ५.५                            | ४.५                                 | ६.५                            | ५.५                                 | ८.५                            | ८                                   | ०             |
| ६       | कम्पाउण्ड वाल<br>(प्रति वर्ग फिट) | १.५                            |                                     | २                              |                                     | ३                              | ४                                   | ०             |

नोट:-सामाजिक कार्य गर्ने नाफा रहित संघसंस्थाका भवनहरू बनाउँदा नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।